लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

MMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

अंक ४०—गुरुवार, २ अप्रैल, १९६४/१३ चैत्र, १८८६ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३०९३—३११४
	***तारांकित प्रश्न संख्या**	
८६६	इडिक्की जल-विद्युत् परियोजना	३०९३—९४
८६७	हीराकुड बांध परियोजना	३०९५
८६८	ग्रामीण जल सम्भरण	३०९६—९८
८६९	दामोदर घाटी निगम	३०९८—३१००
८७०	सरकारी भू-गृहादि अधिनियम, १९५८	३१००—०१
८७१	राजघाट में समाधि	३१०१—०४
८७३	दिल्ली "सी" बिजली घर	३१०४—०६
८७४	पेटरपोल में कर्मचारी क्वार्टर	३१०६—०८
८७५	जनपथ होटल	३१०८—१२
८७६	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी	३११२—१४
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३११४—३९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८६३	नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का आयुर्वेद औषधालय	३११४
८६४	पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड	३११४—१५
८६५	चर्म रोग "सौरियासिस"	३११५
८७२	भारत और नैपाल के बीच उत्पादन शुल्क वापिस करने के मामलों का पुनर्विलोकन	३११५
८७७	औषधीय जड़ी बूटियां और पौधे	३११६
८७९	जीवन बीमा निगम	३११६
८८०	बीमे की किस्तों की दरें	३११६
८८१	ब्रिटेन के साथ ऋण करार	३११७
८८२	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	३११७
८८३	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अग्रिम अध्ययन	३११७—१८

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXVIII—Seventh Session, 1964]

No. 40—Thursday, April 2, 1964 / Chaitra 13, 1886 (Saka)

	Subject	Pages
ORAL ANSWERS TO QUETIONS		3093—3114
***Starred Questions Nos.**		
866	Idikki Hydel Project	3093-94
867	Hirakud Dam Project	3095
868	Rural Water Supply	3096—98
869	D.V.C.	3091—3100
870	Public Premises Act, 1959	3100-01
871	Samadhi at Rajghat	3101—04
873	Delhi 'C' Power Station	3104—06
874	Staff Quarters at Petrapole	3106—08
875	Janpath Hotel	3108—12
876	Retrenchment of Class IV employees . . .	3112—14
WRITTEN ANSWERS TO QUESTION		3114—39
Starred Questions Nos.		
863	C.G.H.S. Ayurvedic Dispensary in New Delhi .	3114
864	Eastern Zonal Grid	3114-15
865	Skin Disease Psoriasis	3115
872	Review of Indo-Nepal Excise Refund Cases . .	3115
877	Medicinal Herbs and Plants	3116
879	L.I.C.	3116
880	Premium Rates	3116
881	Loan Agreements with Britain	3117
882	North-Eastern Regional Electricity Board . .	3117
883	Pilot Study of Public Sector Undertakings . .	3117-18

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७८०	आयकर की बकाया रकमें . .	३११८
१७८१	दण्डकारण्य में बसने वाले आदिम जाति के लोग .	३११८
१७८२	मकान बनाने के लिए ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्र . .	३११८—१९
१७८३	दण्डकारण्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी . . .	३११९
१७८४	उड़ीसा में पीने के पानी के लिये अनुदान .	३११९
१७८५	बिहार के लिए पानी सप्लाई की योजनायें . . .	३११९—२०
१७८६	सरकारी कर्मचारियों व संसद्-सदस्यों से अतिरिक्त लोगों के निवास स्थान. .	३१२०—२१
१७८७	नई दिल्ली नगर पालिका के औषधालय	३१२१
१७८८	चोरी छिपे लायी गयी घड़ियों की जब्ती . .	३१२१—२२
१७८९	दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के लिए सरकारी मकान	३१२२
१७९०	पटना के लिए वृहत् योजना	३१२२—२३
१७९१	मनोविकार चिकित्सा .	३१२३
१७९२	पंजाब में नदी बसिनों का विकास	३१२४
१७९३	दण्डकारण्य प्राधिकार के अधीन स्कूल .	३१२४
१७९४	मेसर्स स्कोडा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड .	३१२४—२५
१७९५	दिल्ली में उद्योगों का स्थानान्तरण	३१२५
१७९६	दण्डकारण्य परियोजना . .	३१२५
१७९७	केरल में क्षयरोग के प्रकोप का सर्वेक्षण .	३१२६—२७
१७९८	प्रीमियम प्राइज बौंडों के पुरस्कारों का निकालना	३१२७
१७९९	अविवाहितों का बंध्यीकरण	३१२७
१८००	अदावी पुरस्कार . . .	३१२८
१८०१	पुनर्वास वित्त प्रशासन .	३१२८
१८०२	श्रव्यतामापी केन्द्र . .	३१२८—२९
१८०३	चोरी-छिपे लाई। ले जाई गई मुद्रा .	३१२९
१८०४	प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां . .	३१३०
१८०५	केरल में लक्कादीव द्वीप समूह के विद्यार्थी	३१३०
१८०६	पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी .	३१३१
१८०७	केरल में सिंचाई परियोजनायें . .	३१३१
१८०८	सुनारों के विरुद्ध मुकदमे . . .	३१३१—३२
१८०९	दिल्ली सरकारी कार्यालयों का बाहर ले जाया जाना	३१३२
१८१०	मैसूर की सोने की खानों के लिये उपकरण.	३१३२—३३
१८११	योग अनुसन्धान मंत्रणा समिति .	३१३३
१८१२	बर्मा से मनीपुर में चोरी से माल का लाया जाना	३१३४
१८१३	बिहार में ग्रामीण जल प्रदाय	३१३४

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—contd.

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
1780	Income-Tax Arrears	3118
1781	Tribal Settlers in Dandakaranya	3118
1782	Applications for Housing Loans	3118–19
1783	S.C. and S.T. Employees in Dandakaranya	3119
1784	Grant for Drinking Water in Orissa	3119
1785	Water Supply Schemes for Bihar	3119–20
1786	Accommodation of non-Govt. Servants or non-M.Ps	3120–21
1787	N.D.M.C. Dispensaries	3121
1788	Seizure of Smuggled Watches	3121–22
1789	Govt. Residences for Chief Ministers in Delhi	3122
1790	Master Plan for Patna	3122–23
1791	Psychiatric Treatment	3123
1792	Development of River Basins in Punjab	3124
1793	Schools under Dandakaranya Authority	3124
1794	M/s. Skoda (India) Pivate Ltd.	3124–25
1795	Shifting of Industries in Delhi	3125
1796	Dandakaranya Project	3125
1797	Survey of T.B. Incidence in Kerala	3126–27
1798	Premium Prize Bonds Prize-draws	3127
1799	Sterlization of Bachelors	3127
1800	Unclaimed Prizes	3128
1801	Rehabilitation Finance Administration	3128
1802	Audiometer Centres	3128–29
1803	Smuggled Currency	3129
1804	Private Ltd. Companies	3130
1805	Laccadive Students in Kerala	3130
1806	Refugees from West Pakistan	3131
1807	Irrigation Projects in Kerala	3131
1808	Cases Against Gold Artisans	3131–32
1809	Shifting of Govt. Offices from Delhi	3132
1810	Equipment for Gold Mines in Mysore	3132–33
1811	Yoga Research Advisory Committee	3133
1812	Smuggling in Manipur from Burma	3134
1813	Rural Water Supply in Bihar	3134

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८१४	सूती कपड़ा तैयार करने वाले विद्युत् चालित करघों पर उत्पादन शुल्क	३१३५
१८१५	विभिन्न प्रकार के सूतों पर उत्पादन शुल्क लगाना	३१३५–३६
१८१६	निजी सम्पत्तियां	३१३६
१८१७	नये उद्योगों के लिये केन्द्रीय सहायता	३१३६
१८१८	अनिवार्य जमा योजना	३१३६–३७
१९१९	शाहदरा (दिल्ली) के निकट कुष्ठ रोगियों की बस्ती	३१३७
१८२०	उद्योग के लिये पुनर्वित्त निगम	३१३७–३८
१८२१	सीक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	३१३८
१८२२	आयकर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	३१३८
१८२३	दिल्ली में सरकारी अस्पताल	३१३९
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में		३१३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
	पाकिस्तान के एक हैलीकाप्टर और एक डकोटा विमान द्वारा त्रिपुरा में भारतीय वायु क्षेत्र का कथित अतिक्रमण	३१३९--४१
	श्री रा० बरुआ	३१३९
	श्री यशवन्त राव चह्वाण	३१३९--४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३१४१–४२
सभा का कार्य		३१४२--४४
अनुदानों की मांगें		३१४४--६७
	स्वास्थ्य मंत्रालय	३१४४--६२
	श्री दे० शि० पाटिल	३१४४
	श्री यशपाल सिंह	३१४४–४५
	श्रीमती अकम्मा देवी	३१४५–४६
	डा० प० मंडल	३१४६–४७
	श्री मोहन स्वरूप	३१४७–४८
	डा० शि० कु० साहा	३१४८–४९
	श्रीमती कमला चौधरी	३१४९
	श्री गौरी शंकर कक्कड़	३१५०
	श्री अ० त्रि० शर्मा	३१५०–५१
	श्रीमती लक्ष्मी बाई	३१५१–५२
	डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	३१५२–५३
	श्रीमती सावित्री निगम	३१५३–५४
	श्री भू० ना० मंडल	३१५४
	डा० रानेन सेन	३१५४–५५
	श्री बाकर अली मिर्जा	३१५५

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—contd.

Starred Question Nos.	Subject	Pages
1814	Excise on Cotton Power Looms	3135
1815	Levy of exicse on different Yarns	3135–36
1816	Personal Properties	3136
1817	Central Aid for New Industries	3136
1818	C.D.S.	3136–37
1819	Leprosy Patients Colony near Shahadara (Delhi)	3137
1820	Refinance Corporation for Industry	3137–38
1821	Security Paper Mill, Hoshangabad	3138
1822	Quarters for Income-Tax Staff	3138
1823	Government Hospitals in Delhi	3139
Re :	Calling Attention Notices	3139
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance		
	Reported violation of Indian Air Space in Tripura by Pakistani Helicopter and Dakota	3139—41
	Shri R. Barua	3139
	Shri Y.B. Chavan	3139—41
	Papers laid on the Table	3141–42
	Business of the House	3142—44
	Demands for Grants	3144—67
	Ministry of Health	3144—62
	Shri D. S. Patil	3144
	Shri Yashpal Singh	3144-45
	Shrimati Akkamma Devi	3145–46
	Dr. P. Mandal	3146–47
	Shri Mohan Swarup	3142–48
	Dr. S. K. Saha	3148–49
	Shrimati Kamala Chaudhuri	3149
	Shri Gauri Shankar Kakkar	3150
	Shri A.T. Sarma	3150–51
	Shrimati Laxmi Bai	3151–52
	Dr. L. M. Singhvi	3152–53
	Shrimati Savitri Nigam	3153–54
	Shri B. N. Mandal	3154
	Dr. Ranen Sen	3154–55
	Shri Bakar Ali Mirza	3155

अनुदानों की मांगें—जारी

विषय	पृष्ठ
श्री बाल्मीकी	३१५५
डा० सुशीला नायर . .	३१५४—६२
उद्योग मंत्रालय	३१६३—६७
श्री दीनेन भट्टाचार्य . . .	३१६३—६५
श्री रामचन्द्र उलाका . . .	३१६५—६७
श्री व० बा० गांधी . . .	३१६७
सदस्य की रिहाई	३१६७

DEMANDS FOR GRANTS,

Subject	Page
Shri Balmiki	3155
Dr. Sushila Nayar	3155—62
Ministry of Industry	3163—67
Shri Dinen Bhattacharya	3163—65
Shri Ramachandar Ulaka	3165—67
Shri V. B. Gandhi	3167
Release of Member	3167

लोक-सभा
LOK SABHA
गुरुवार, २ अप्रैल, १९६४/१३ चैत्र, १८८६ (शक)
Thursday, April 2, 1964/Chaitra 13, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इडिक्की जल विद्युत् परियोजना

*८६६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने कोलम्बो योजना के अधीन इडिक्की जल विद्युत् परियोजना की मशीनों के लिये विदेशी मुद्रा देने का निर्णय किया है ;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा और उसमें से कितना कनाडा द्वारा किया जाएगा;

(ग) कितने जनित्र लगाये जायेंगे और उन की उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(घ) किस समय तक परियोजना में बिजली तैयार होने लगेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) यह परियोजना कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा की सहायता से तैयार की जायेगी। जांच तथा सर्वेक्षण के लिये १९६२–६३ कार्यक्रम के अन्तर्गत २ लाख डालर का आवंटन किया गया था।

(ख) पहले प्रक्रम (५ × १०० मेगावाट) के लिये कुल ५१ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दूसरे क्रम का प्राक्कलन लगभग ९ करोड़ रुपये होगा। कनाडा से मिलने वाली सहायता की राशि कनाडा से आयात किये जाने वाले उपकरण की सीमा तथा देशी उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग)	पहला प्रक्रम	५ × १०० मेगावाट
	दूसरा प्रक्रम	३ × १०० मेगावाट
(घ)	पहला प्रक्रम	१९६९
	दूसरा प्रक्रम	प्राधिकरण की तिथि से लगभग ३ वर्ष।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या कनाडा के इंजीनियर भारतीय इंजीनियरों का सहयोग भी लेंगे?

डा० कु० ल० राव : जी हां।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या हम ने उस स्थान पर पैदा होने वाली सामग्री से औद्योगिक विकास की संभावनाओं का अनुमान लगाया है ?

डा० कु० ल० राव : जी हां। केरल में औद्योगीकरण के लिये बिजली दी जाएगी।

श्री बासप्पा : माननीय मंत्री ने कहा है कि पहला यूनिट १९६९–७० में उत्पादन आरम्भ कर देगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इतना विलम्ब क्यों होगा तथा इस से पहले इसे पूरा क्यों नहीं किया जाता ?

डा० कु० ल० राव : इडिक्की परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है जिस में दो बांध तथा एक बहुत बड़ा जलाशय बनेंगे और कुल लगभग ५१ करोड़ रुपये की लागत आयेगी। स्वाभाविक है कि इस में कम से कम इतना समय तो लग ही जायेगा।

श्री श्याम लाल सर्राफ : इन बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की स्थापना करते समय, विशेषत: विद्युत् परियोजनाओं की, उन चीजों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या पूर्वोपाय किए जा रहे हैं जो पिछली बार दिल्ली में जापानी जनित्रों के बारे में हुई थीं ?

डा० कु० ल० राव : मेरे माननीय मित्र का संकेत दिल्ली के जनित्रों की ओर है। वहां केवल एक दुर्घटना से खराबी आ गई थी। अन्यथा, लगाने का उत्तरदायित्व तो निर्माताओं का होगा और इस बारे में कभी-कभार ही कुछ दिक्कत होती है। परन्तु इस बारे में पूरी सावधानी बरती जाएगी कि भविष्य में परीक्षण के समय तथा बाद में वाणिज्यिक कार्य के शुरू होने से पहले कड़ा नियंत्रण रखा जाए।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या मैं जान सकता हूं कि इस में से कितने प्रतिशत बिजली ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये दी जाएगी। और कितनी औद्योगीकरण के लिये ?

डा० कु० ल० राव : ग्रामीण विद्युतीकरण की सभी आवश्यकतायें पूरी की जायेंगी।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whother any strings are attached to the aid being given by Canada.

अध्यक्ष महोदय : कनाडा यह सहायता किन शर्तों पर दे रहा है ?

डा० कु० ल० राव : कोई शर्तें नहीं हैं। यह तो केवल ऋण के रूप में राज्य को सहायता है। जिन शर्तों के अधीन कनाडा की ओर से सहायता दी जाती है उनके इलावा कोई विशेष शर्तें नहीं हैं।

हीराकुड बांध परियोजना

*८६७. **श्री गो० महन्ती** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने हीराकुड बांध परियोजना का प्रशासन किन शर्तों पर राज्य सरकार के नियंत्रण में दे दिया है; और

(ख) क्या राज्य सरकार १२ अगस्त, १९६० की सरकारी गजट अधिसूचना (वित्त मंत्रालय) में निर्धारित दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकों की सेवा-शर्तों का पालन करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६२३ । ६५ ।]**

श्री गो० महन्ती : क्या यह सच है कि हीराकुड बांध परियोजना में जिन दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकों को सेवा की केंद्रीय शर्तों पर भर्ती किया गया था अब उन्हें उड़ीसा राज्य की सेवा की शर्तें स्वीकार करने पर बाध्य किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : परियोजना का हस्तान्तरण १ अप्रैल, १९६० को किया गया था जैसा कि विवरण में बताया गया है। स्वाभाविक है कि उसके बाद सेवा की शर्तें वही होनी चाहियें जो उड़ीसा राज्य में प्रचलित हैं।

श्री गो० महन्ती : जिनकी छंटनी की गई है उन्हें काम में कैसे लगाया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि ज्ञात है, इन सभी परियोजनाओं में सदा बहुत से कर्मचारी स्थायी काम के लिये रखे जाते हैं और निर्माण काल में अस्थायी कर्मचारी भी रखे जाते हैं। जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो कर्मचारी निकालने ही पड़ते हैं। इस मामले में उड़ीसा सरकार न इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कम से कम कठिनाई हो। मैं समझता हूं कि जिन लोगों की छंटनी हुई है उन्हें उड़ीसा सरकार ने दूसरा काम दिया है।

Shri Achal Singh : Why the Hirakud Project running into a loss of crores of rupees?

अध्यक्ष महोदय : क्या कारण है कि यह नुकसान में चल रहा है ?

डा० कु० ल० राव : मैं ठीक से प्रश्न का अभिप्राय नहीं समझा। वास्तव में यह नुकसान में नहीं चल रहा है क्योंकि प्रारंभ में अधिक पूंजी के बावजूद उत्पादन की प्रति किलोवाट लागत अब भी देश क अन्य स्थानों की तुलना में कम है। यह केवल २-३ नये पैसे हे।

श्री अ० प्र० शर्मा : कितने कर्मचारियों की छंटनी हुई है तथा कितनों को दूसरा उपयुक्त काम मिला है ?

डा० कु० ल० राव : हस्तान्तरण की तिथि को ४१३ अर्द्धस्थायी और २७६ अस्थायी कर्मचारियों को नोटिस मिला था। उड़ीसा सरकार ने उन सबको दूसरा काम देने का प्रस्ताव किया था। कितनों ने प्रस्ताव को माना, इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

ग्रामीण जल संभरण

*८६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के संभरण की व्यवस्था सबसे अधिक शोचनीय है ;

(ख) प्रत्येक राज्य की समस्यायें क्या हैं तथा प्रत्येक के सम्बन्ध में क्या विशेश कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नवम्बर १९६३ में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में की गई विशेष सिफारिशों को देखते हुए कितना अतिरिक्त धन दिया गया है और क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६२४। ६४**]।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सम्पूर्ण जांच के बाद ग्रामीण जल संभरण के लिये ३०० करोड़ रुपये की आवश्यकता महसूस की गई थी जिस में से ६७ करोड़ रुपये की अपर्याप्त राशि दी गई थी। उसमें भी सभी क्षेत्रों में अभाव है, विशेषत: स्थानीय विकास कार्यों में जिनमें किसी विशेष क्षमता और सम्मान की जरूरत नहीं है। मुश्किल से ३२ प्रतिशत का खर्च किया गया है। क्या मंत्री महोदय स्थिति को व्याख्या करेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): माननीय सदस्य का कथन यहां तक ठीक है कि जब तक काम को तेज करने के लिये कुछ किया नहीं जाता, तीसरी योजना के अन्त तक शायद ६७ करोड़ रुपय को अति अपर्याप्त राशि का पूरा उपयोग न हो सके। उसके लिये हमने एक पीने के पानी सम्बन्धी बोर्ड नियुक्त किया जिसने जगह जगह जा कर समस्या को परखा और अपने प्रतिवेदन में इस योजना के अन्तर्गत काम करने वाले विभिन्न अधिकरणों को समन्वित करने के बारे में कुछ सिफारिशें कीं। उसने सिफारिश की है कि स्थानीय विकास कार्यों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित धनराशि को एक साथ मिला दिया जाए और तकनीकी लोगों की देखरेख में सारे काम का निष्पादन हो।

योजना आयोग के सदस्य प्रो० थैकर की अध्यक्षता में समन्वय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है और आशा है कि यह समिति कुछेक कठिनाइयों को दूर कर सकेगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : राजस्थान के संबन्ध में क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान मुख्य मंत्री द्वारा अक्तूबर १९६२ में भेजे गये अर्द्ध-शासकीय पत्र की ओर दिला सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि वह कम से कम ३ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कर्मचारी उपकरण तथा संगठनात्मक व्यवस्था है और उन्होंने जांच पड़ताल भी करवा ली है ? इसके बावजूद इन तीन वर्षों में केवल १ करोड़ रुपया खर्च किया गया है जबकि उनकी मांग ३ करोड़ रु० प्रति वर्ष थी। एक ओर तो अभाव है। हमने और धन मांगा है। दूसरी ओर जो कुछ दिया जाता है वह भी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्य मंत्री धन मांगते हैं और कहते हैं कि उनके पास सामान तथा हरेक चीज तैयार है। माननीय मंत्री का इस बारे में क्या विचार है ?

डा० सुशीला नायर : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने २ करोड़ रुपये में से, जो उनके पास है, मामूली सा भी खर्च नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आती कि में योजना आयोग या वित्त मंत्रालय

से कैसे कह सकती हूं कि वह राजस्थान को और धन दे जब तक कि वहां उतना भी धन खर्च नहीं होता जितना उनकी योजना में निर्धारित है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : योजना आयोग ने उसमें कटौती कर दी है। राजस्थान को दोष देने का कोई लाभ नहीं है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : In Salavasanahar, Rewari tehsil of district Gurgaon, in district Mahendragarh even the drinking water is brackish....

Mr. Speaker : You are coming from State to district and from district to tehsils and villages....

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Sir, it is a very important question.

Mr. Speaker : Such detailed questions cannot be asked here at the Centre.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What steps are contemplated about those areas of Punjab where the drinking water is brackish?

Dr. Sushila Nayar : Sir, use is not being made of the amount earmarked in the Third Plan for pure water in villages. I have written in this connection to all the Chief Ministers and Health Ministers to expedite this work.

श्री पें० वेंकटासुब्बैया : क्या यह सच है नहीं कि आन्ध्र प्रदेश के कई भागों में पीने के पानी का बड़ा ही अभाव है? उन क्षेत्रों में ग्रामीण जल संभरण योजनाये चलाने के बार में सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है?

डा० सुशीला नायर : सभी राज्यों में अभाव वाले क्षेत्र हैं—किसी में ज्यादा, किसी में कुछ कम और हम इस चीज पर बल दे रहे हैं कि इन क्षेत्रों की उच्चतम जरूरतों को पूर्ववर्तिता दी जाए। परन्तु योजनाओं को बनाना तथा चलाना राज्य सरकारों का काम है। हम उन्हें सहायता दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं परन्तु काम उन्हीं को ही करना है।

श्री त्यागी : क्या गांव-वार कोई आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं कि कहां कहां पानी की कमी है या सारी योजना केवल सिद्धांत रूप ही में चल रही है?

डा० सुशीलानायर : जी नहीं। सामुदायिक विकास मंत्रालय ने जो गांव में कुओं के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है जानकारी एकत्रित की है और हम ने उन्हें कहा है कि इस जानकारी का विश्लेषण करके हमें बतायें कि किन गांवों में कोई भी कुआं नहीं है, किन में एक है, किन में दो हैं, तीन हैं इत्यादि। वे विश्लेषण कर रहे हैं।

Shri Buta Singh : It has first been stated that there is scarcity of water in every state of India. The hon. Minister blames the Chief Ministers that they have not utilised the funds. May I know whether the Central Government is going to make some arrangements on its own behalf so that people in these areas may get pure drinking water?

Dr. Sushila Nayar : We had formulated a scheme about two years ago for those areas where there was scarcity of water and we gave 100 per cent help to the State Governments to set up investigation divisions so that they might make a study of the problems and prepare schemes and plans in time with their requirements. If the sanctioned amount is spent, we would try to ask for more from the Finance Minister.

Shrimati Jamunadevi : Are the rural water supply schemes not making progress due to the paucity of funds or the inactivity of the Madhya Pradesh Government and what are the causes of failure in this respect?

Dr. Sushila Nayar : It is rather difficult for us to explain the position. We examine the schemes which are submitted to us by the states and our technical advisers extend on-the-spot help to improve those schemes but the initiative to formulate these schemes should, in any case, be taken by the State Governments.

कुछ माननीय सदस्य उठे--

अध्यक्ष महोदय : आज दो मांगों पर चर्चा होने वाली है । कोई दो दर्जन सदस्य खड़े हो रहे हैं ।

Shri Bagri : Sir, it is a very important question for making arrangements for drinking water. These water supply schemes are only on paper and are not implemented. The Pratap water supply scheme for Bhawani has not yet been started. People in our area are facing acute scarcity of drinking water and the discussion should therefore continue for a little longer.

Mr. Speaker : Hon. Member's question has come.

Shri Kashi Ram Gupta : All the Members will not get the chance today to speak on the Demands of the Health Ministry. Those Members who are not going to have that chance may therefore be allowed to ask questions.

Mr. Speaker : Let the discussion on the Demands of the Health Ministry be over. If even after that hon. Members want to discuss it further, let them give notice. You can yourself realise how I can allow all the 24, 25 Members to ask questions. That may not be possible even in the whole Question Hour.

Shri Onkar Lal Berwa : At least the Members from Rajasthan must be allowed to ask questio s since this question is about Rajasthan.

दामोदर घाटी निगम

\+

*८६९. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के भागीदारों के बीच भविष्य में निगम के विद्युत् संभरण के काम के बारे में कुछ निर्णय किये गये थे;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में दामोदर घाटी क्षेत्र की बिजली की भावी आवश्यकता कितनी है जिसे अधिनियम के अनुसार दामोदर घाटी निगम को पूरा करना है तथा क्या दामोदर घाटी निगम के लिये अब तक स्वीकार की गई क्षमता से वह आवश्यकता पूरी हो सकेगी; और

(ग) यदि स्वीकृत क्षमता अपर्याप्त हुई तो अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक दामोदर घाटी क्षेत्र में ८४३ मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। यदि दामोदर घाटी निगम भविष्य में अपने आप को घाटी की भीतरी आवश्यकताओं तक ही सीमित रखे और धीरे धीरे घाटी से बाहर किये गये वायदों से स्वयं को हटा ले तो स्वीकृत अधिष्ठापनों के साथ दामोदर घाटी निगम की पक्की क्षमता इस मांग को पूरा करने के लिए काफी होगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या मैं जान सकता हूं कि चौथी योजना में यह बिजली बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच कैसे बांटी जायेगी ?

डा० कु० ल० राव: प्रत्येक को ५० प्रतिशत मिलेगी।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या सरकार ने चौथी योजना में विद्युत् संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर मंगवाया है और यदि हां, तो किस देश ने भेजा है ?

डा० कु० ल० राव : अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार उस क्षेत्र में अपने नियंत्रण में एक और बिजलीघर स्थापित करने के लिए दामोदर घाटी निगम की सहायता चाहती थी ?

डा० कु० ल० राव : जी हां; पश्चिम बंगाल सरकार अपनी तरफ से घाटी में बिजली पैदा करना चाहती थी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रत्येक राज्य को ५० प्रतिशत का आवंटन समानता के आधार पर है या उनकी आवश्यकताओं के आधार पर तथा क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि बिजली न मिलने से पश्चिम बंगाल में उद्योगों का प्रसार नहीं हो रहा है और यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

डा० कु० ल० राव : प्रस्ताव सोच-विचार के अनुसार हैं। यह तो संयोग की बात है कि दोनों क्षेत्रों में बिजली की जरूरत लगभग एक जैसी है और इसलिये ५० प्रतिशत बिल्कुल उचित है। उस प्रदेश में बिजली की मांग के प्रश्न के बारे में हम इस समय इतने यूनिट शुरू कर रहे हैं कि तीसरी योजना के अन्त तक हमें वहां फालतू बिजली के हो जाने की आशा है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि हावड़ा से चलने वाली एक स्थानीय बिजली गाड़ी बिजली की कमी या बन्द हो जाने के कारण नहीं चल सकी थी ?

डा० कु० ल० राव : ऐसा ही है। हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि बिजली बन्द होने से रेलवे को नुकसान उठाना पड़ा परन्तु ऐसा अस्थायी रूप से ही हुआ होगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम स्थापित करने का मूल विचार यह था कि समन्वित विकास हो और यदि हां, तो काम के इस विभाजन से उस समन्वित विकास में क्या सहायता मिलेगी ?

डा० कु० ल० राव : समन्वय फिर भी रहेगा क्योंकि जहां तक बिजली का सम्बन्ध है उसका विकास दामोदर घाटी क्षेत्र के साथ ही होगा । केवल सिंचाई का भाग कल से स्थायी रूप से पश्चिम बंगाल को हस्तान्तरित किया जा रहा है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : भागीदार राज्यों द्वारा ये निर्णय कर लिये जाने के बाद क्या विद्युत् जनन तथा सिंचाई के लिए जल संभरण की मूल योजना में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो इसका तीसरी तथा चौथी योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

डा० कु० ल० राव : कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है । जितने क्षेत्र की सिंचाई करने का विचार था वह वास्तव में विस्तृत जांच और कार्यान्विति के परिणामस्वरूप बढ़ गया है । जो बिजली अब पैदा होती है वह प्रारम्भिक कार्यक्रम में प्रत्याशित मात्रा से ज्यादा है ।

श्री प्रभातकार : माननीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से उस क्षेत्र में एक और संयंत्र खोलने की प्रार्थना प्राप्त हुई है । क्या मैं सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं ?

डा० कु० ल० राव : अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार से परयोजना प्रतिवेदन की प्रतीक्षा हो रही है ।

सरकारी भू-गृहादि अधिनियम, १९५८

\+

*८७०. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्रीमती शशांक मंजरी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ को भूमि के शाश्वत पट्टाधारियों पर लागू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में इसे लागू किया गया है तथा दीवानी अदालत में न्यायनिर्णयन के बिना पुनः प्रवेश और क्षति की धमकी देने पर कितना रुपया वसूल किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) अधिनियम के अधीन ३२ मामलों में कार्यवाही चलाई गई थी ।

पट्टेदारों द्वारा किये गये समझौतों के फलस्वरूप २१ पट्टों के सम्बन्ध में ८९,७५४.३७ रुपये (जमीन के किराये की बकाया राशि सहित) वसूल किये गये हैं ।

Shri Yashpal Singh : what is Govt.'s policy in regard to houses which have been constructed? Would the Govt. recognise them or reconstruct them after demolition?

Shri Mehr Chand Khanna : It is not concerned with houses. Govt. has given land on lease. There are various kinds of lease with which certain

conditions are attached. If any lessee violates any condition, the Land and Development Officer looks into it. Wherever it is possible, compromise is made and money realised.

Shri Yashpal Singh : Does this Act apply to 100-year or perpetual leases?

Shri Mehr Chand Khanna : I have said that it does apply. This land was given hundred years ago almost free or just at a very nominal cost. If any body misuses it in Delhi, Government will have to deal with him.

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस तरह के दीवानी मामलों में नागरिकों के विरुद्ध इस दमनकारी शक्ति को अपने हाथ में रखने पर क्यों तुली हुई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह नागरिकों के विरुद्ध कोई दमनकारी शक्ति नहीं है लेकिन यदि वे पट्टे की शर्तों को तोड़ेंगे तो कार्यवाही करनी ही पड़ेगी । यदि पट्टे के सम्बन्ध में सरकार सुधार के लिये थोड़ा-बहुत रुपया लेती है तो यह दमनकारी नहीं है । यह हमारा अधिकार है ।

श्री कपूर सिंह : साधारण व्यक्तियों की तरह वे अदालत में क्यों न जायें ?

अध्यक्ष महोदय : इस संसद् द्वारा पारित एक कानून है ।

श्री कपूर सिंह : जब यह शक्ति दमनकारी है तो वह इसे रखने पर आग्रह क्यों करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री ओंकार लाल बेरवा ।

Shri Onkar Lal Berwa: It is a fact that the land in Govt. possession is sold by auction in which the poor people get no chance because departmental men bid more and more and ultimately it goes to their own candidates ?

Shri Mehr Chand Khanna : That is a different matter.

Shri Onkar Lal Berwa : But that is the question.

Shri Braj Raj Singh : Is it a fact?

Shri Mehr Chand Khanna : What is fact?

Shri Onkar Lal Berwa : Is it a fact that land is not given on lease but is blackmarketed in auction?

Shri Mehr Chand Khanna : This land was initially allotted to the people in Delhi for constructing houses. As I have already stated, if somebody violates the terms of the lease Govt. is to take action. So far as the sale of land is Concerned, the method suggested by the hon. Member had not crossed my mind so far and even in future I would not like even to think of it.

राजघाट में समाधि

*८७१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि के निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितना खर्च हो चुका है; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) मुख्य समाधि का काम, जिसमें आंगन, संगमरमर का जंगला तथा पास का मिट्टी का स्तूप सम्मिलित हैं, पूरा हो गया है। आस-पास की जमीन में बाग, कृत्रिम नहरों आदि का काम हो रहा है।

(ख) ३४ लाख रुपये।

(ग) अगले वर्ष किसी समय।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि समाधि के आस-पास का काम, कृत्रिम नहर आदि का, कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ने बताया कि अगले वर्ष किसी समय काम के पूरा होने की आशा है।

श्री दी० चं० शर्मा : समाधि के रख-रखाव पर होने वाले आवर्ती व्यय की क्या व्यवस्था की जायेगी और क्या उसका अनुमान लगाया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : आवर्ती व्यय भारत सरकार करती है। एक राजघाट समाधि समिति बनाई गई है। उसमें दोनों सदनों के कुछ संसद्-सदस्य हैं और सारे मामले को देखा जाता है। वे खर्चे का हिसाब लगाते हैं जो निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय को भेजा जाता है; जांच के बाद उसकी स्वीकृति दी जाती है।

श्री दी० चं० शर्मा : समाधि के पूरा हो जाने पर इस पर लगभग कितना वार्षिक आवर्ती व्यय होगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : कुछ पता नहीं; यह सवाल कुछ और है।

Shri R. S. Pandey : I want to know in refrence to the Samadhi construction work whether any such suggestion came up before the Ministry that a model hut like the one in which Bapu used to live should be constructed in the present courtyard where there is the Samadhi so that thousands of visitors who come there may know what a simple life Bapu used to live; if so, what action has been taken in that regard?

Shri Mehr Chand Khanna : I am not aware of it. The question of the Samadhi has come before the Cabinet twice or thrice and it has been looked into. In accordance with the approval of the Cabinet, we have appointed a Bombay architect, Bhutta. Work is going on in the light of his suggestions.

श्री रंगा : क्या हमें यह आश्वासन मिल सकता है कि महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी क्योंकि १९६९ में पड़ती है, सरकार कम से कम उस समय तक समाधि का सारा काम पूरा कर लेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह काम अगले वर्ष किसी समय पूरा हो जाना चाहिये और मैं देखूंगा कि यह पूरा हो जाये।

Shri Kachhavaiya : May I know whether any foreign assitance has been received for the construction of this samadhi; if so, how much ?

Shri Mehr Chand Khanna : I do not know. Our estimates have been sanctioned by the Finance Ministry and the work is being done by the C.P.W.D.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार महसूस करती है कि महात्मा गांधी के मरणविषयक अवशेष क्योंकि बहुत से स्थानों पर बिखरे हुए हैं इसलिये यह निर्माण-कार्य समाधि नहीं है बल्कि स्तूप है और यदि हां, तो क्या सरकार इसका नाम समाधि की बजाय स्तूप करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि अस्थियां क्योंकि अनेक स्थानों पर विसर्जित की गई थीं, इसे महात्मा गांधी की समाधि नहीं कहा जा सकता और यह केवल स्तूप ही हो सकता है। वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार नाम बदलने का विचार रखती है ?

प्रधानमंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं समझ नहीं पाया कि यह सवाल कैसे उठता है और अगर कुछ अस्थियां और जगहों पर भेज दी गई थीं तो यह स्तूप कैसे हो गया। वास्तव में दाह संस्कार उसी स्थान पर हुए थे और इसलिये यह समाधि है ।

श्री कपुर सिंह : व्याख्या करने पर समाधि वह स्थान है जहां किसी मृत व्यक्ति के सभी मरणविषयक अवशेष अपने मौलिक स्थान पर हों।

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम तर्क नहीं कर सकते ।

श्री हेम बरुआ : वे ब्रह्मकुंड में एक स्तूप बनवायें ।

अध्यक्ष महोदय : जब इतने विद्वान हो तो मैं क्या करूं ?

श्री हरि विष्णु कामत : आप भी कम नहीं है ।

Shri S. M. Banerjee : In reply to an earlier question the Prime Minister has said that when the construction work was taken up care would be taken to make it artistic at least and instead of looking like Birla Mandir it would reflect the simplicity of which Gandhiji was an embodiment. I want to know whether the fact is not this that the construction so far made there shows as if the soul of Gandhiji has been captivated in a fort and what the hon. Prime Minister feels about it because he had once given a promise in this connection.

Mr. Speaker : The hon. Member may seek information and not ask for any opinion.

मैं इस की आज्ञा नहीं देता । डा० गोविन्द दास ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, यहां सदन में आश्वासन दिया गया था ।

Dr. Govind Das : Is it proposed to have any institution in the buildings surrounding the Samadhi? Who are the experts whose opinion has been sought for the gardens being laid there?

Shri Mehr Chand Khanna : As far the Samadhi, our intention is to keep the whole area from the Samadhi to the Fort and, on the other side upto "C" Power Station neat and clean and to have gardens and canals there. We do not intend to construct anything there. The Gandhi Peace Foundation intended to construct some buildings there. That was also looked into. The matter went before the cabinet. The proposal is that I should give them some good site in the Minto Road area or some other area nearly. There is no intention to construct anything there.

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाधि के ऊपर से 'हे राम' शब्दों को हटा क्यों दिया गया है जिस पर स्वयं प्रधान मंत्री ने पिछली बार वहां जाने पर टिप्पणी की थी ?

अध्यक्ष महोदय : इउ प्रश्न का पिछली बार उत्तर दिया गया था । ये शब्द हटाए नहीं गए हैं ; ये वहां हैं ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : वे समाधि के ऊपर नहीं हैं ; वे समाधि के किनारों पर हैं और दिखाई नहीं देते ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : अब 'हे राम' दो स्थानों पर खुदवा दिया गया है, एक तो समाधि पर ही और दूसरे जहां फूल चढ़ाये जाते हैं . . . .

श्री जवाहर लाल नेहरू : वे दोनों ही जगहों पर हैं ; ऊपर भी और किनारों पर भी ।

दिल्ली "सी" बिजली घर

+

*८७३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के "सी" बिजली घर में खराबी पैदा होने के कारणों की जांच पूरा हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां और निष्कर्ष क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी प्रदान करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

टर्बो-आल्टरनेटर यूनिट में कुछ कम्पन हो जाने के कारण ५ मार्च, १९६४ को दिल्ली "सी" बिजलीघर बन्द कर दिया गया था । कम्पन के बारे में पहली बार ३ मार्च, १९६४ को पता चला । मशीन की, जिसके लिये दी गई गारंटी का अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, मैसर्स मितिसुबिशी शोजी केशा लिमिटेड, जापान के इंजानियरों ने जांच की है । इसी फर्म ने इस संयंत्र का संभरण किया था और इस को लगाया था । मशीन का निरीक्षण करने के बाद फर्म के इंजानियरों ने यह विचार व्यक्त किया है कि टर्बाइन और जनरेटर के 'अलाइनमेंट' में कुछ अन्तर हो जाने के कारण ये कम्पन हुए । मशीन का इस बीच पुनः 'अलाइनमेंट' कर दिया गया है तथा यह २४ मार्च, १९६४ से फिर चालू कर दी गई है । मशीन के कार्यकरण पर पूरा निगरानी रखी जा रही है । मशीन को १ अप्रैल, १९६४ से वाणिज्यिक रूप से चलाने के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया गया है । कम्पनी के कारणों के बारे में किन्हीं निश्चित निष्कर्षों पर अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है तथा मशीन के विभिन्न दशाओं के अधीन कुछ दिन काम कर लेने के बाद ही इस बारे में कुछ पता लगने की आशा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इस खराबी को दूर करने के लिये सारे देश में कोई भी इंजानियर उपलब्ध न हो सका और इस प्रकार से विदेशी तकनीकी सहयोग का यह परिणाम

निकला है कि भारत विदेशी तकनीकी जानकारी तथा वाणिज्यिक हितों पर पूर्णतया निर्भर हो गया है ? यदि हां, तो इंजीनियरिंग की विशेषीकृत शाखाओं में जो अत्यधिक पिछड़ापन है उस को समाप्त करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

डा० कु० ल० राव : यह बिल्कुल सही है कि इस देश में इनका निर्माण न होने के कारण खराबी के कारणों का पता लगाना वस्तुतः कठिन है । यह आशा की जाती है कि अगले तीन या चार वर्षों के दौरान जब देश में ही निर्माण होना प्रारम्भ हो जायेगा, तब हम इस कमी को दूर कर सकेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : किस प्रकार ?

डा० कु० ल० राव : यह आशा की जाती है कि देशमें निर्माण में वृद्धि हो जाने से देश के अन्दर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो जायेगी और इस प्रकार की खराबी को दूर किया जा सकेगा ।

श्री हरि विष्णु काम: संयंत्र के लगाने पर खर्च की गई कथित अत्यधिक राशि क्या है और, जैसाकि विवरण में दिया गया है, यह खराबी 'नान-अलाइनमेंट' के कारण हुई है या गलत 'अलाइनमेंट' के कारण ?

डा० कु० ल० राव : जापान से आये इंजीनियरों ने खराबी को दूर कर दिया है और मशीन अब काम कर रही है । उन्होंने अभी तक वह रिपोर्ट नहीं दी है कि किन निश्चित कारणों से वह कम्पन हुआ ।

Shri Onkar Lal Berwa : How much loss has been caused due to the non-availability of electricity as a result of the breakdown of the "C" Power Station and whether this loss would be made good by the contractor or it would be borne by Government.

डा० कु० ल० राव : वस्तुतः, इस कार्य से हमें लाभ हुआ है क्योंकि हमें भाखड़ा से सस्ती बिजली प्राप्त हुई है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Who will bear it, the contractor or the Government ?

डा० कु० ल० राव : यह समस्त हानि कम्पनी पूरी करेगी ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे भारतीय इंजीनियरों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और उन्होंने एक नम्र तरीके से उनकी आलोचना की है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे बिजली इंजीनियरों को इन संयंत्रों की जानकारी से सुसज्जित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

डा० कु० ल० राव : यह बिल्कुल सच है कि भारतीय इंजीनियरों को इन मशीनों के निर्माण सम्बन्धी संचालन के बारे में उच्च ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । इसीलिये, जैसाकि मैंने आय-व्ययक सम्बन्धी मांगों के दौरान निवेदन किया था, इस बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षित

करने के लिये हमारा दो संस्थायें, एक बम्बई में तथा दूसरी निवेली में, स्थापित करने का विचार है ।

पेटरापोल में कर्मचारी-क्वार्टर

*८७४. **डा० रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा पह पेटरापोल में भूमि सीमा शुल्क कार्यालयों के लिये बने क्वार्टरों में कर्मचारियों के परिवारों के लिये सुरक्षा-व्यवस्था न होने के कारण भूमि सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी अभी वहां नहीं आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिक सुरक्षित स्थानों पर क्वार्टर बनाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) ऐसा नहीं है कि केवल सुरक्षा-व्यवस्था न होने के कथित कारण से ही कर्मचारी इन क्वार्टरों में नहीं आये हैं । पेटरापोल में बने ४४ क्वार्टरों में से, ३ या ४ क्वार्टरों में कर्मचारी आ भी चुके हैं ।

(ख) क्योंकि क्वार्टर बन भी चुके हैं, अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि पेटरापोल में कर्मचारियों के लिये बने इन क्वार्टरों पर, जोकि काफी समय तक खाली पड़े रहे, सैनिकों की एक बटालियन आ गई थी और इसके बावजूद भी कर्मचारियों के वेतन से, जिन्होंने कि इन क्वार्टरों का कब्जा नहीं लिया है, किराया काटा गया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऐसा नहीं है कि क्वार्टर खाली न होने के कारण कर्मचारी इन में नहीं आये हैं । पूरी तरह से समझाने के बाद भी, अभी तक कर्मचारियों को इन क्वार्टरों को ग्रहण करने के लिये तैयार नहीं किया जा सका है । माननीय सदस्य द्वारा जो किराये का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि उनके द्वारा क्वार्टरों को ग्रहण किये जाने के बाद, किराया कम करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । इस से पहिले, इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या कर्मचारियों द्वारा क्वार्टर ग्रहण न किये जाने के बावजूद भी उनसे किराया लिया गया ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है । यह तो स्पष्ट है कि यदि उन क्वार्टरों में अन्य व्यक्ति रह रहे हों, तो कर्मचारियों से किराया नहीं लिया जा सकता । अन्यथा, किराया उन के वेतन से काट लिया जाता है ।

डा० रानेन सेन : श्रीमान्, इस प्रश्न की सूचना बहुत पहिले दी गई थी । फिर भी मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है । यह एक सीमावर्ती स्थान है । कर्मचारियों की मुख्य शिकायत यह है कि जिन क्वार्टरों को उन्होंने उन में उचित सुख सुविधाओं के न होने के कारण ग्रहण नहीं किया है, उनका किराया उन के वेतनों से काटा जाता है । उन्होंने मंत्री जी को भी इस बारे में लिखा है । यह एक बहुत गंभीर मामला है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि अध्यक्ष महोदय प्रश्न को देखने की कृपा करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि प्रश्न में यह नहीं है कि क्वार्टरों में अन्य व्यक्ति रह रहे हैं और फिर भी किराया

लिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने अभी अभी यही आरोप लगाया है। मुझे इसका पता नहीं है कि इनमें कोई अन्य व्यक्ति रह रहे हैं। हो सकता है कि अस्थायी रूप से इन में कोई लोग आ गये हों। यदि ऐसा है, तो स्वभावतः उस अवधि के लिये किराया नहीं काटा गया होगा, यदि क्वार्टर उपलब्ध होते हैं और कर्मचारी उन को ग्रहण नहीं करते हैं तब तो स्वाभाविक है कि किराया लिया जाता है जोकि उन के वेतन से काट लिया जाता है। यदि सरकार की अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति उन क्वार्टरों में आ गये हैं, तो यह निश्चित है कि हम कर्मचारियों से किराया नहीं लेंगे। जैसाकि मैंने कहा, मैं जांच कर के स्थिति का पता लगाऊंगा।

श्री प्रभात कार : इस बात को देखते हुए कि क्वार्टर सीमा के बिल्कुल पास बनाये गये हैं तथा आज सीमा पर स्थिति बहुत खराब है, क्या उन कर्मचारियों से, जोकि अपने परिवारों सहित सीमा से काफी दूर रह रहे हैं, उन को दिये गये क्वार्टरों का कोई किराया नहीं लिया जायेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह पुनः एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मतभेद हो सकता है। भू-सीमा-शुल्क कर्मचारियों को सीमा पर ही रहना पड़ता है। वे दूर नहीं रह सकते। यदि क्वार्टर सीमा से मीलों दूर बना दिये जायें तब यह शिकायत होगी कि ये कर्मचारी कार्य-स्थान से बहुत अधिक दूर हैं। सीमा तथा उत्पादन-शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष तथा राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव ने सम्पूर्ण विषय की जांच की है। बिजली तथा यातायात आदि की व्यवस्था करके हम कुछ मामलों में उनको आवास प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु इस बारे में जो परस्थितियां हैं उनके अधीन समस्त मांगों को, जो कि एक विशेष प्रकार की हैं, पूरा नहीं किया जा सका है।

श्री दाजी : क्या मैं यह समझूं कि क्वार्टर दिये जाने के बाद यदि किन्हीं भी कारणवश उन पर कब्जा न किया जाय, तो भी सम्बन्धी व्यक्तियों के वेतन से किराया काटा जायेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अवश्य। इन व्यक्तियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था की जाती है तथा उनसे कहा जाता है कि वे उन में जा कर निवास करें। यदि वे इन क्वार्टरों में नहीं जायें, तो कुछ मामलों में तो उनको मिलने वाला मकान किराया भत्ता बन्द कर दिया जायेगा तथा अन्य मामलों में उनके वेतन से किराया काट लिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि गत कुछ महीनों के दौरान पेटरापोल पाकिस्तान की जासूसी कार्यवाहियों का अड्डा बन गया है तथा सीमा-शुल्क कर्मचारियों की जान तथा माल को खतरा पैदा हो गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान की विध्वसक कार्यवाहियों से इन लोगों को बचाने के प्रश्न के बारे में सरकार अथवा वित्त मंत्री जी ने गृह-मंत्री जी से बातचीत की है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य द्वारा सोची गई बात सभी भू-सीमा शुल्क कर्मचारियों पर लागू होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भू-सीमा बहुत लम्बी है। स्वभावतया, यदि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, तो यह कार्य समय समय पर विभाग द्वारा किया जायेगा। मैं यहां पर स्पष्ट शब्दों में निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इस स्थान पर सुरक्षा की व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने गृह मंत्री जी से बातचीत की है।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि यदि वे उन क्वार्टरों पर कब्जा नहीं करते हैं जिनके वे अधिकारी हैं, तो नियम के अधीन उनको मकान किराया भत्ता

नहीं मिलेगा। उन्होंने किन विशिष्ट कारणों से इन क्वार्टर पर कब्जा नहीं किया है ? क्या इसका कारण यह है कि उनको वे सुख सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जो कि अन्य स्थान पर और व्यक्तियों को सामान्य रूप से उपलब्ध हैं ? उनके लिये समुचित सुख सुविधाओं की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है । इस ओर ध्यान दिया जाय ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : क्वार्टरों में न जाने का यह एक कारण हो सकता है । जैसा मैंने बताया, ये क्वार्टर सीमावर्ती क्षेत्र में हैं। इस बात को ध्यान में रखना ही पड़ता है कि सुविधा किस प्रकार से है । इन क्वार्टरों का कर्मचारियों के कार्य-स्थल के पास होना आवश्यक है । यदि कुछ थोड़ा अन्दर इनको बनाया जाय, तो अन्य कठिनाइयां पैदा होती हैं । विभाग के अनुसार ठीक यही था कि इन को सीमावर्ती क्षेत्र में ही बनाया जाय। यदि कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है, तो हम उनकी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं । परन्तु उनके द्वारा मांगी गई समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करना हमारे लिये सम्भव नहीं हो सकेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । इस प्रश्न की सूचना १० या १५ दिन पहिले दी गई थी परन्तु जितने भी उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिये हैं, वे सब कल्पना पर आधारित हैं । उन्हें किसी भी बात का पता नहीं है । उन्होंने कहा है : "यदि कोई सुख सुविधा नहीं होगी, तो उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी; यह होगा तो वह कर दिया जायेगा ।" क्या हमें माननीय मंत्री जी की ओर से इस प्रकार के उत्तर मिलने चाहियें ? प्रश्नों की सूचना देने में हमें काफी परिश्रम करना पड़ता है । यह भी पता होता ही है कि कुछ अनुपूरक प्रश्न भी अवश्य पूछे जायेंगे । परन्तु माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर न तो अनुमान पर आधारित हैं और न तथ्यों पर ।

श्री रंगा : क्या इस औचित्य प्रश्न के बारे में मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? पहिले अपनाई जाने वाली अधिक से अधिक खुलासा प्रश्न पूछने की रीति की तुलना में, जिससे कि मंत्रियों को भी पहिले से ही यह सूचना मिल जाती थी कि वे किस प्रकार से उनका उत्तर तैयार करें, अब अधिकांश प्रश्न एक या दो वाक्यों में सामान्य रूप में पूछे जाते हैं । हमें भी अनुपूरक प्रश्न पूछने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । मैं देखता हूं कि उनको इसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने औचित्य प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

JANPATH HOTEL

\+

*875. **Shri Balmiki:**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hari Vishnu Kamath:

Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the management of Janpath Hotel is being entrus ted to a new body;

(b) if so, the reasons for withdrawing the State management from the hotel;

(c) whether all the employees of the hotel who have rendered long service, will be dismissed;

(*d*) if so, the reasons therefor; and

(*e*) the number of employees affected, category-wise as a result thereof?

The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) It was only partially under State management. From the 1st April, 1964, it will be completely in the public sector.

(c) and (d) Only such members of the temporary staff as do not hold any permanent post in the Central Government or do not accept alternative posts offered by the Hotel Janpath or by Government or are not selected by Hotel Janpath will be retrenched.

(e) 22 members of Class IV staff and 30 of Class III are affected . Class IV staff was advised to apply to the Janpath Hotels Ltd. One did not appear for interview and 3 were not selected. Out of the remaining 18 persons who were selected, one has found employment in another Government office, one has accepted the offer of employment in the Hotel and the remaining 16 have refused the offer.

Of the Class III staff, 9 were not selected, one has resigned, 18 have been absorbed by Janpath Hotels Ltd. and 2 by the Directorate of Estates.

Shri Balmiki : Is it a fact that irrespective of their categories and fine service records, all the employees of the Janpath Hotel including permanent, quasi-permanent and those recruited through Employment Exchange have been served with notices? In case they have at all been retained, they have been offered much lower posts. May I know the reason therefor?

Shri Mehr Chand Khanna : It is not correct. I have sympathy for them. When the Constitution House was got vacated, its 50 employees were provided with employment in Lodi House. I want to submit that the number of Government employees in Janpath Hotel was 50 and the number of employees of Volga was 264. The contract with Volga continued for many years. We terminated its contract on 31st March. After converting it into a public sector undertaking, we retained in service 243 employees out of 264 members of the staff belonging to Volga, who were rendered surplus. Out of Government employees numbering 50, we kept in service 40. That is to say, we provided employment in all to 283 people out of 314. But the difficulty is that at the time of retrenchment, the juniormost people are served with notices. Shri Balmiki along with the persons affected met me this morning. I assured them to look into the cases again. In case they have a unblemished record, I assure to give them alternative employment either in C.P.W.D. or other hostels. I do not want to turn out anyone . But in case anybody's record is not satisfactory, it would not be possible to help him. When I earn Rs. 50 to 60 a day from my customers it is my duty to give them good service.

Shri Balmiki : The hon Minister is aware that instead of appointing those persons who are already serving there and who are fit for these posts, a large number of high posts are being filled up from outside recruitment. Should I take it that the present management is indulging in favouritism and nepotism?

Shri Mehr Chand Khanna : In case the hon. Member brings a case of this type to my notice, I would personally look into it. I just said that though 264 employees belonging to Volga were not the charge of this Ministry, still I had kept in service nearly all the employees *i.e.* 243 in order to see that they were not thrown out of employment.

Shri Onkar Lal Berwa : At present all the employees of Janpath Hotel are on strike. Have they requested the Government to appoint them on the posts on which they were working? What sorts of demands have been put up by the employees before the Government, how many have been acceded to and how many rejected?

Shri Mehr Chand Khanna : Sir, It is a strike only in name. There is not a full strike....

Shri Onkar Lal Berwa : Which strike you call a full strike? Should the employees die?

Mr. Speaker : Let the hon. Minister anwser.

Shri Mehr Chand Khanna : I myself went there last night. I have seen the whole thing with my own eyes. Some persons are sitting there. I have just stated in my reply that out of 264 employees belonging to Volga, 243 have been offered posts and out of 50 Government servants, 40 have been offered employment. I have sympathy for them. I am prepared to review their cases. I would like to say to the hon. Member, Shri Balmiki, that I am prepared to sit together and have a talk with them. But let me clarify one thing. In case the work has been finished, then it would not be possible for me to retain anybody for this purpose since it is not desirable to spend public money on the employment of those persons for which there is no justification. But we are constructing many other Hostels too. I would try to accommodate each and every person.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इन भाग्यहीन व्यक्तियों ने इस बारे में याचिकायें तथा अभ्यावेदन दिये हैं परन्तु बिना किसी सुनवाई अथवा विचार किये इनको अस्वीकृत कर दिया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य को कांस्टीट्यूशन हाउस के बारे में सब कुछ पता है। उनमें से ५० . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : मैं कांस्टीट्यूशन हाउस के बारे में नहीं जनपथ होटल के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं यह कह रहा हूं कि हमने कांस्टीट्यूशन हाउस के प्रत्येक कर्मचारी को लोदी हाउस में खपाने की कोशिश की थी वही बात मैं अब कर रहा हूं। यदि माननीय सदस्य छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को भाग्यहीन कह रहे हैं, तो मुझे भी उनके लिये बहुत दुःख है। परन्तु मैंने सभा को आश्वासन दे दिया है कि मैं उनको नौकरी पर लगाना चाहता हूं। जैसे ही स्थान खाली होंगे, उनको मेरे मंत्रालय में सब से पहिले लिया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता था कि क्या याचिकाओं और अभ्यावेदनों को एकपक्षीय रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह कह चुके हैं कि वे उन मामलों पर पुनः ग़ौर करेंगे। यदि माननीय सदस्य की जानकारी में ऐसेकोई मामले हों, तो वे उनको माननीय मंत्री जी की जानकारी में लायें।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह सही नहीं है । मेरे माननीय मित्र श्री बाल्मीकी द्वारा जो नोटिस मेरी जानकारी में आज सुबह लाये गये हैं, वे ऐसे नहीं हैं जिनकी कि अवधि ३ या ४ दिन में समाप्त होने वाली हो ।

श्री नाथपाई : मंत्री जी के इस आश्वासन का स्वागत करते हुए कि कोई भी व्यक्ति रोजगार से वंचित नहीं किया जायेगा तथा प्रत्येक को वैकल्पिक कार्य दे दिया जायेगा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनको दी जाने वाली नौकरियां उनके लिये अलाभप्रद थीं ? चूंकि माननीय मंत्री जी ने इस बात से पहिले इंकार किया है, तो क्या मैं स्पष्ट शब्दों में बता सकता हूं कि १६५ रु० पाने वाले एक कर्मचारी को १६० रु० की नौकरी दी गई और यदि वह 'ना' करता है, तो दूसरा कर्मचारी ले लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह न्यायसंगत है और क्या हमें इस धारणा को बनने देना चाहिये कि राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होता है ? यह एक तथ्य है कि एक ओर तो छंटनी की जा रही है तथा दूसरी ओर उन्हीं स्थानों के लिये आदमी रखे जा रहे हैं । माननीय मंत्री जी के पास इसका क्या उत्तर है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अनेक वर्षों से जनपथ होटल में काम करते आ रहे कर्मचारियों के लिये व्यवस्था करना मेरे मंत्रालय का उत्तरदायित्व नहीं था

श्री नाथपाई : यह तो केवल शब्दों के हेर फेर की बात है । माननीय मंत्री जी अनावश्यक रूप से वोल्गा के मामले को बीच में ला रहे हैं । वोल्गा होटल तो वहां पर सरकार की तरफ से भोजन व्यवस्था करने वाला था । मैं उन व्यक्तियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु व्यौरे में न जाने वाले सदस्यों को भ्रम हो सकता है । हमारा सम्बन्ध वोल्गा से नहीं है अपितु भारत सरकार के प्रबन्ध से है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जनपथ होटल पर दुहरा नियंत्रण था । यह राजसम्पत्ति निदेशालय के प्रशासनीय नियंत्रण में था और वोल्गा वाले भोजन व्यवस्था करते थे । वे अनेक वर्षों से इस कार्य को कर रहे थे । यह निर्णय किया गया कि समूचे समवाय को एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में बदल दिया जाय जो कि हम ने किया है । वोल्गा के अधीन अनेक वर्षों से काम करने वाले कर्मचारियों की भी यह स्थिति थी और वे भी इसी श्रेणी में आते हैं । जो हमारे लिये उपयुक्त थे, उन को हम ने रखा लिया है और जैसा कि मैं ने बताया लगभग २५० अथवा २६० में से लगभग २४३ को हम ने अपने अन्तर्गत ले लिया है ।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है वे सब राजसम्पत्ति निदेशालय के कर्मचारी थे । हमने केवल कनिष्ठतम व्यक्तियों की ही छंटनी की है परन्तु हमारा विचार उनको निर्माणाधीन अन्य होस्टलों में स्थान देने का है । फिर, जैसा कि मैंने बताया है, उनके रिकार्डों की जांच पड़ताल होने तक यह केवल एक अल्पकालिक छंटनी हो सकती है । यदि जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि उनका रिकार्ड अच्छा है, तो मैं उनको बहुत जल्दी ही नौकरी दे दूंगा ।

Shri Sheo Narain: May I know whether the remaining 10 members out of 50 belonging to Government staff would also be provided with alternative accommodation?

Shri Mehr Chand Khanna : Even those persons who belonged to the contractor and were working in this Hotel have been absorbed by me. I am doing the same thing in Western Court as had been done by me in the case of

Constitution House. We did not deem it proper to throw 250 persons out of employment. We are examining the records of each and every employee and have sympathy with every one of them. I would make provision for the remaining persons also after some time.

श्री नम्बियार : इन व्यक्तियों की छंटनी करने का वस्तुतः क्या कारण है जो कि ८ या ९ वर्ष से लगातार सेवा में हैं, जिनके रिकार्ड में किसी प्रकार का धब्बा नहीं है और जिन में से बहुत से अर्ध-स्थायी हैं ? जगह खाली होते हुए भी, उनकी छंटनी क्यों की जा रही है ? यह केवल प्रबन्ध के परिवर्तन का प्रश्न है परन्तु प्रबन्ध तो सरकार के ही हाथ में रहेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने अभी अभी बताया है कि कोटा हाउस के प्रतिरक्षा होस्टल बनाने कांस्टीट्यूशन हाउस के गिराने तथा जनपथ होटल को एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बनाने के कारण कुछ छंटनी करनी आवश्यक थी । परन्तु हम ने केवल उन्हीं व्यक्तियों की छंटनी की है जिनका सेवाकाल सब से कम था । हम ने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता है । सरकार का सामान्यतया यही तरीका है कि चाहे कोई अस्थायी हो या अर्ध-स्थायी, सबसे कम सेवाकाल वालों की सब से पहिले छंटनी की जाती है ।

Shri A. P. Sharma : According to the service conditions of Government servants whenever the question of their retrenchment arises, they are provided with alternative employment. But at the time of appointment of persons belonging to private undertakings by the Government, the question of examining their suitability etc arises. May I know why the rules regarding suitability etc. applicable to the employees of private undertakings are made applicable to those serving in Government Departments and why they are not provided with alternative employment ?

Mr Speaker : He has already answered it.

Shri Sinhasan Singh : Is it a fact that during the period from 25th to 31st March fresh appointments have been made and the employees already serving in the Hotel have been retrenched having been declared as the lower most ?

Shri Mehr Chand Khanna : If by new persons the hon. Member means those people who were working in Janpath Hotel for the last five or seven years, then it is correct. They have been appointed. Though thay were not Government servants, yet they have been employed by me . They have been appointed only after the scrutiny of their records. No fresh appointments have been made. I would look into their cases and if any fresh appointment has been made and the old persons have been turned out as a result thereof, I would cancel that fresh appointment.

Retrenchment of Class IV Employees

\+

876. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Lahri Singh :
Shri Balmiki :

Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is fact that notices have been served on several class IV employees of Government hostels *i.e.* Kotah House, Western Court, Pataudi

House, Raisina Hostel, Lodi Hostel, Janpath and Working Girls Hostel with a view to retrench them ;

(b) if so, the reasons for serving such notices; and

(c) the arrangements made by Government to provide them with alternative employment ?

The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes, Sir. Notices have been served on 73 members of Class IV staff.

(b) The notices have been served due to the transfer of Kotah House building to the Ministry of Defence, closing down of the Constitution House Hostel and transfer of the control of Janpath Hotel to a limited Company.

(c) Government were able to find alternative employment for 56 persons including for 38 under Janpath Hotels Ltd. Out of these 38, so far, 17 have accepted the offer and 17 have declined it.

Shri Kachhavaiya : May I know the length of service of those employees who have been served with notices and whether any compensation would be paid to them during the period of their unemployment ?

Shri Mehr Chand Khanna : There is no question of any compensation. I have asked them to go on leave due to them and after the expiry of their leave I would try to take them back so that there is no break in their service. But when the work has finished, I cannot retain anybody.

Shri Kachhavaiya : No answer has been given about their length of service.

Shri Mehr Chand Khanna : These people included permanent, quasi-permanent and also temporary employees I think the number of temporary or quasi-permanent employees is more. No permanent employee has been served with a notice.

Mr Speaker : Could the hon. Minister give any idea about their length of service ?

Mr Speaker : It is difficult to indicate.

Shri Kachhavaiya : Is it a fact that a person is declared permanent after having served on a post for three months ? If so, why these people have been served with notices in spite of the fact that they have put in more than three months' service ?

Shri Mehr Chand Khanna : The first assumption is not correct. There are rules to this effect duly framed by the Ministry of Home Affairs in which percentage and period have been fixed.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मंत्री जी ने बताया कि जनपथ होटल को एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बना देने के कारण ये नोटिस दिये गये हैं। केवल इस कारण कि होटल को एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बना दिया गया है, हम यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार तथा कानुन के किस उपबन्ध के अधीन इन लोगों को नौकरी से हटाना आवश्यक हो गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether before awarding the contract to this new company, enquiries were made from any other company and if so, on what basis ?

Shri Mehr Chand Khanna : This is a public sector undertaking. The building belongs to Government as also the management.

Shri Onkar Lal Berwa : After taking it over, would the Government not give its contract to somebody else ?

Shri Mehr Chand Khanna : No, Sir.

श्री स० मो० बनर्जी : मुख्य प्रश्न, जिसके बारे में अन्य विभागों से जनपथ होटल भेजे गये कर्मचारी चिन्तित हैं, यह है कि क्या सेवा में बिना किसी बाधा के तथा वेतन में किसी प्रकार की कमी न होते हुए उनको अन्य सरकारी विभागों में स्थानान्तरित किये जाने की संभावना है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार का निर्णय कर लिया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता । इन होस्टलों में काम करने वालों की काफी संख्या राजसम्पत्ति निदेशालय के अन्य विभागों में भेज दी गई है और वहां खपा ली गई है । शेष व्यक्तियों के बारे में ध्यान देने के लिये मैं तैयार हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना का आयुर्वेद औषधालय

*८६३. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल मार्केट नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एकमात्र आयुर्वेद औषधालय में रोगियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत विनय नगर, नई दिल्ली में कोई आयुर्वेद औषधालय खोला गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) गत दस महीनों में गोल मार्केट की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेद औषधालय की उपस्थिति कम अधिक होती रही है । मई, १९६३ से उपस्थिति सब से ज्यादा अर्थात् ४९२८ थी । फरवरी, १९६४ में ४०५३ थी ।

(ख) जी नहीं । सरोजिनी नगर में एक आयुर्वेद औषधालय को खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड

८६४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में कलकत्ता में हुई एक बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा और दामोदर घाटी निगम के लिए एक एकीकृत क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड बनाने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जी हां। २९ जनवरी, १९६४ को कलकत्ते में बुलाये गये सम्मेलन में उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दामोदर घाटी निगम का अन्तः सम्बद्ध विद्युत् ग्रिड बनाने का विचार स्वीकार किया गया था। तदनुसार पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड स्थापित किया गया है।

Skin Disease Psoriasis

*865. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that skin diseases like Psoriasis are spreading widely in all the major cities (Bombay, Delhi, Calcutta); and

(b) if so, the action Government propose to take for preventing the spread of these diseases?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b)Psoriasis is not an uncommon skin disease, which is chronic in nature. Facilities are available in all hospitals, dispensaries and specialised skin clinics for the treatment of the disease. As the cause is not well understood, preventive measures cannot be instituted.

भारत और नेपाल के बीच उत्पादन शुल्क वापिस करने के मामलों का पुनर्विलोकन

*८७२. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा नेपाल को उत्पादन शुल्क की वापसी के बकाया मामलों का सत्यापन करने के लिए भारत तथा नेपाल द्वारा शीघ्र ही एक संयुक्त समिति नियुक्त की जायेगी ;

(ख) भारत को कितनी रकम प्रति वर्ष वापस करनी है ; और

(ग) इस वापसी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी हां। भारत सरकार तथा महामहिम नेपाल की सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त लेखापरीक्षक पार्टी शीघ्र ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के विभिन्न कलैक्टरों की वापसी के दावों का निरीक्षण करेगी।

(ख) गत पांच वर्षों में नेपाल सरकार को वापस किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

(लाखों में खर्च)

१९५९–६०	१.३९
१९६०–६१	०४
१९६१–६२	८१
१९६२–६३	१०७
१९६३–६४ (जनवरी ६४ तक) . . .	१,९८

(ग) नेपाल से भारत को निर्यात की गई उत्पादन शुल्क वाली वस्तुओं के कारण यह पुनर्भुगतान हुआ था। १९५३ में हुए एक करार के द्वारा भारत से नेपाल को निर्यात की गई वस्तुओं का नेपाल सरकार को उत्पादन शुल्क की छूट दी जाती है।

औषधीय जड़ी बूटियां और पौधे

*८७७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक औषध-प्रभाव-विज्ञान के लिए उपयोगी औषधीय जड़ी बूटियां तथा पौधों का कोई गहन सर्वेक्षण किया गया है या किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया गया और किसने किया ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) अगस्त १९६२ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में सर्वेक्षण युनिट स्थापित करने की योजना स्वीकार की गई थी ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६८९/६४]**

जीवन बीमा निगम

*८७९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मद्रास उच्च न्यायालय के जीवन बीमा निगम के विरुद्ध फैसले की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि जीवन बीमा निगम "निर्मूल अभिकथन तथा निराधार आरोपों के आधार पर" दावों से इन्कार न करे ; और

(ख) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या इस सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम को कोई निदेश जारी किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा मालूम होता है कि जीवन बीमा निगम को मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला अभी नहीं मिला है और सरकार ने भी उसको नहीं देखा है । जीवन बीमा निगम फैसला मिलने पर सरकार को अपनी टिप्पणियां भेजेगा तथा इस पर तभी अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

बीमे की किश्तों की दरें

*८८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवनांकिक आधार पर देश में जीवन बीमा के प्रीमियम (बीमा किश्त) की दरों का पुनर्विलोकन करने में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): निगम ने १९६१ से १९६४ के वर्षों में बीमा किए गये व्यक्तियों के मरने की जांच की थी। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यह जांच पूरी हो जाने के बाद इसके आधार पर बीमे की किश्तों को बदला जायेगा ।

ब्रिटेन के साथ ऋण करार

*८८१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के साथ हाल में १२५ लाख पौंड (१६.७ करोड़ रुपये) के तीन ऋण करार किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो करारों की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इन ऋणों की राशि का किन योजनाओं के लिए उपयोग किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६२५ / ६४ ।]

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड

*८८२. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली के उत्पादन और वितरण का आयोजन और समन्वय करने के लिए एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह बोर्ड कब तक बन जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). हाल में ही उत्तर पूर्व क्षेत्रीय बिजली बोर्ड स्थापित किया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अग्रिम अध्ययन

*८८३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री २ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कृत्यों के बारे में योजना आयोग द्वारा किया गया अग्रिम अध्ययन पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां तथा निर्णय क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप मंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अध्ययन इस आधार पर किया जा रहा है कि

कार्यक्रम की उचित प्रणाली बनाई जाए । ये जितना संभव होगा उतना योजना तथा प्रबन्ध, वित्तीय योजना तथा उत्पादन योजना का अध्ययन करेंगे । अभी बारह परियोजनाओं पर काम आरम्भ किया गया है और सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से नौ परियोजना प्रतिवेदनों की जांच की जा रही है ।

आयकर की बकाया रकमें

१७८०. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को आयकर की बकाया रकमों की वसूली के सम्बन्ध में क्या स्थिति थी ; और

(ख) बकाया रकमों की वसूली के लिए जो कदम उठाये गये उनका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को आयकर की वास्तविक बकाया रकमों का अनन्तिम आंकड़ा १९२.९९ करोड़ रुपया है ।

(ख) आयकर अधिनियम में बताये गये सभी संभव कदम बकाया रकमों की वसूली के लिए उठाये जा रहे हैं ।

दण्डकारण्य में बसने वाले आदिम जाति के लोग

१७८१. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९६४ को दण्डकारण्य प्रायोजना में कारापुट जिला (आसाम) से आदिम जाति के कितने लोग बस गये थे और उन्हें कितनी कितनी जमीन दी गई थी ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :

आदिम जाति के परिवारों की संख्या . .	१,०५२
दी गयी जमीन का क्षेत्रफल .	७,९५८ एकड़

मकान बनाने के लिए ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्र

*१७८२. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान बनाने के लिए दी जाने वाली पेशगी के लिए उड़ीसा के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से पिछले छः महीनों में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने आवेदन पत्र सरकार द्वारा मंजूर किये गये; और

(ग) उसी अवधि में अब तक उड़ीसा के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कुल कितना ऋण दिया गया ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) छः (इन में वे दो आवेदन पत्र भी शामिल हैं जो अधूरे थे) ।

(ख) दो ।

(ग) ९,६०० रुपये ।

दण्डकारण्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

१७८३. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९६४ को दण्डकारण्य प्रायोजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी थे; और

(ख) उन में से कितने कर्मचारी उड़ीसा राज्य के हैं ?

निर्माण, आवस तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में पीने के पानी के लिए अनुदान

१७८४. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को नगरपालिकाओं को संरक्षित पीने का पानी सप्लाई करने के लिए १९६३–६४ में कितनी धनराशि दी थी; और

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए १९६४–६५ में उड़ीसा को कितनी रकम दी जाने वाली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा सफाई कार्यक्रम (शहरी) के अधीन, उड़ीसा सरकार की शहरी पानी सप्लाई और नाली योजनाओं के लिए १९६३-६४ में ३० लाख रुपये का ऋण दिया गया है ।

(ख) १९६४-६५ में दी जाने वाली रकम अभी निश्चित नहीं की जा गयी है । राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं में ४२ लाख रुपये का संकेत दिया है ।

बिहार के लिए पानी सप्लाई की योजनाएं

१७८५. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के लिए १९६१-६२, १९६२-६३ और १९६३-६४ में जलपूर्ति योजनाओं (देहाती और शहरी) के लिए कितनी कितनी रकमें मंजूर की गई थीं ; और

(ख) जो योजनायें कार्यान्वित की गयीं उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) १९६१-६२ से १९६३-६४ तक राष्ट्रीय जल-पूर्ति और सफाई कार्यक्रम के अधीन शहरी जलपूर्ति और सफाई योजनाओं के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित रकमें मंजूर की गयीं :—

(लाख रुपयों में)

१९६१–६२	३९.००
१९६२–६३	७६.९९
१९६३–६४	७४.०१
जोड़ . . .	१९०.००

ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिए सहायता राज्य सरकार को सहायता-अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य आयोजना की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता विभिन्न श्रेणियों या समुदायों की योजनाओं के लिये इकट्ठी रकम के रूप में मंजूर की जाती है और न कि वह प्रत्येक योजना के लिये दी जाती है। राज्य आयोजना की सभी योजनाओं के लिए जिनमें, ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं सम्मिलित है, १९६१-६२ से १९६३-६४ में बिहार सरकार के लिए स्वीकृत किये गये अनुदान इस प्रकार हैं :—

वर्ष	स्वीकृत अनुदान (वस्तुओं के सहायता सहित) (लाख रुपये)
१९६१–६२ .	१६१.१६
१९६२–६३ .	२०६.७८
१९६३–६४ .	११०.९५

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभापटल पर रख दी जायगी।

सरकारी कर्मचारियों व संसद्-सदस्यों से अतिरिक्त लोगों के निवास-स्थान

१७८६. श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने और किन श्रेणियों के सरकारी मकान फिलहाल सरकारी कर्मचारियों और संसद् सदस्यों से अतिरिक्त लोगों के कब्जे में हैं ;

(ख) ये इमारतें किन किन तारीखों से उनके कब्जे में हैं और वे किन किन श्रेणियों के लोगों के कब्जे में हैं ; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों या संसद् सदस्यों से अतिरिक्त लोगों को ये इमारतें किन आधारों पर दी जाती हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) यह मान लिया जाता है कि जानकारी दिल्ली के सम्बध में मांगी गई है। ११२ सरकारी मकान सरकारी कर्मचारियों से अतिरिक्त लोगों के कब्जे में हैं : इन मकानों की श्रेणियां इस प्रकार हैं :—

टाइप ८		१
टाइप ७		४
टाइप ६	.	१४
टाइप ५	.	४६
टाइप ४	.	३६
टाइप ३	.	१
टाइप २	.	२
टाइप १ . .	.	१
कार्यालय तथा निवास स्थान	.	१
		११२

(ख) इन इमारतों के दिये जाने की तारीखें १ से १४ में वर्ष तक के बीच में हैं जैसाकि प्रश्न के भाग (क) में बताया गया है, वे सभी सरकारी कर्मचारियों से अतिरिक्त लोग हैं।

(ग) हर मामले में कारण बताने में काफी समय और मेहनत लगेगी जो प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगी।

नई दिल्ली नगरपालिका के औषधालय

१७८७. श्री विभूति मिश्र : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के औषधालयों का स्टैन्डर्ड से नीचे की दवाइयां दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सप्लाई बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चोरी छिपे लाई घड़ियों की जब्ती

१७८८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० जनवरी, १९६४ के लगभग सीमाशुल्क अधिकारियों ने समुद्र से बम्बई पहुंचने वाले छः यात्रियों से चोरी की ४००० कलाई घड़ियां और मद्रास हवाई अड्डे पर एक यात्री से २०० जनानी कलाई घड़ियां बरामद कीं ;

(ख) यदि हां, तो उन का कुल अनुमानित मूल्य कितना था और वे किस तरह बेची गयी हैं ; और

(ग) पिछले तीन महीनों में चोरी छिपे घड़ियां लाने के कितने मामले पकड़े गये और बरामद माल का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने २० जनवरी, १९६४ को सात यात्रियों से जो २० जनवरी, १९६४ को एस० एस० मारकोनी से बम्बई पहुंचे थे, ७५८३ कलाई घड़ियां बरामद कीं जबकि मद्रास सीमा शुल्क अधिकारियों ने १९ जनवरी, १९६४ को हवाई जहाज से उतरते हुए एक यात्री से २०० जनानी कलाई घड़ियां और ६ मर्दानी कलाई घड़ियां बरामद कीं। अनुमान है कि बरामद घड़ियों का मूल्य २.८९ लाख रुपया है। दोनों ही मामलों का फैसला अभी बाकी है और अभियोग चल रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त के अलावा, दिसम्बर, १९६३ से फरवरी १९६४ की अवधि के दौरान, सीमा शुल्क और भू-सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों ने चोरी छिपे घड़ियां लाने के २१८ मामले पकड़े थे। इन में लगभग ७ १/२ लाख रुपये की लगभग ८५०० कलाई घड़ियां और करीब १२ १/२ लाख रुपये का दूसरा माल बरामद किया गया। दूसरे माल में मुख्यत: उपभोग की वस्तुएं और दूसरी चीजें शामिल हैं जैसे सोना, जेवरात, कीमती जवाहरात, करेन्सी, रेशमी कपड़े, ट्रांजीस्टर रेडियो, मिकैनिकल लाइटर्स, नाइलान बटन, अफीम, ट्रक और मशीनी नाव आदि।

दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के लिये सरकारी मकान

१७८९. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने किन्हीं राज्यों के मुख्य मंत्रियों या भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को सरकार में राजकीय पदों पर न रहते हुए भी मकान दिये हैं ;

(ख) यदि हां तो ऐसे कितने मकान हैं ; और

(ग) किन आधारों पर ऐसे मकान दिये जाते हैं और रद्द किये जाते हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). नहीं। यदि उल्लेख जम्मू और काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों से है, तो उत्तर हां है और ऐसे मकानों की संख्या दो है।

(ग) मकान उन की प्रार्थना पर दिये गये थे।

Master Plan for Patna

1790. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Bihar have informed the Central Government about the formulation of a master plan for Patna and the implementation thereof by the Bihar Government;

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto; and

(c) the assisttance Central Government propose to give to the Bihar Government in the matter ?

The Minister for Health (Dr. Shushila Nayar) : (a) The Master Plan for Patna has been prepared by the Patna Improvement Trust and it is now being examined by the State Government of Bihar.

(b) Central Government would like Master Plans to be prepared for all cities at the earliest.

(c) Hundred per cent financial assistance is being provided to the State Government for preparation of Master Plan of Patna.

मनोविकार चिकित्सा

१७९१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनोविकार चिकित्सा के लिये संस्थाओं में शय्याओं की वर्तमान संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि मानसिक चिकित्सालय में प्रवेश अधिकतर मजिस्ट्रेट के आर्डर से मिल पाता है और वहां की देखभाल देखरेख के तौर पर ही होती है ;

(ग) क्या मानसिक चिकित्सालयों को मानसिक सेवा केन्द्र में बदलने की कोई योजना प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ताकि रिहायशी मरीजों और गैर रिहाइशी मरीजों के इलाज और देखभाल और रिहायशी सेवाओं में समन्वय स्थापित किया जा सके ; और

(घ) मानसिक असन्तुलन के मामलों में निदान और मानसिक चिकित्सा विषयक सेवाओं के अतिरिक्त और क्या निरोधात्मक उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत के वर्तमान ३५ मानसिक चिकित्सालयों में शय्याओं की संख्या १३,८८९ है । इसके अलावा, देश में साइक्रियाट्रिक क्लिनिक्स और चाइल्ड गाइडन्स क्लिनिक्स भी हैं जहां मनोविकार चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(ख) इंडियन लयूनेसी एक्ट, १९१२ की धारा ४ के परन्तुक के अधीन, मानसिक चिकित्सालयों में स्वेच्छा से आने वाले रोगियों को भी भरती किया जाता है । विशिष्ट परिस्थितियों में, उस अधिनियम की धारा १३ के अधीन मजिस्ट्रेट के आर्डर से भरती की जाती है । मजिस्ट्रेट के आर्डर के अधीन, रोगी को रिसेप्शन आर्डर के आधार पर भरती कर लिया जाता है । उन घुमन्नू और खतरनाक पागलों के, जिनके साथ बेरहमी से बर्ताव किया जाता है या जो अच्छी देखभाल और नियंत्रण में नहीं है, रिश्तेदारों को मजिस्ट्रेट से यह रिसेप्शन आर्डर प्राप्त करना होता है ।

(ग) और (घ) सरकार ने एक मानसिक स्वास्थ्य मंत्रणा समिति बनाई है जिसने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में संशोधन करने, मनोविकार विज्ञान के मेडिकल और पेरा-मेडिकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिये, और मानसिक रोगों के चलने फिरने संबंधी इलाज के प्रश्नों की छानबीन करने और वर्तमान मानसिक चिकित्सालयों में सुधार के सुझाव देने के लिए तीन अध्ययन दल बनाने की सिफारिश की है ।

इन अध्ययन दलों की बैठक हुई है और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है । उन की सिफारिशों की छानबीन हो रही है और इस क्षेत्र से संबंधित चौथी योजना तैयार करते समय उन पर ध्यान दिया जायेगा ।

पंजाब में नदी बेसिनों का विकास

१७९२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नदी बेसिनों के विकास के लिये पंजाब सरकार से एक वृहत् योजना केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वृहत् योजना में कल्पित योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां । कुछ समय पहले योजना का एक प्रारूप प्राप्त हुआ था ।

(ख) इस प्रारूप में सम्मिलित कुछ योजनाएं सम्बन्धित राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं । ये इस प्रकार हैं :—

१. व्यास-सतलज लिन्क
२. पोंग बांध
३. यमुना दौर—१
४. यमुना दौर—२
५. उल्ह दौर—३ (बासी बिजलीघर)

अन्य योजनाओं के बारे में सम्बन्धित सरकारें छानबीन कर रही हैं ।

दण्डकारण्य प्राधिकार के अधीन स्कूल

१७९३ **श्री० गो महन्ती** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के नियंत्रण के अधीन खोले गये प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में आदिवासी बच्चों को भरती किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इन बच्चों को कौन सी भाषा और लिपि सिखाई जाती है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मेसर्स स्कोडा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटड

१७९४. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री १३ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स स्कोडा (इंडिया) प्राइवेट कम्पनी लिमिटेड सम्बन्धी मामले की जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या नतीजा निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). कुछ बातों की जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और कुछ बातों का फैसला अभी होना है। दूसरी बातों के सम्बन्ध में, जांच पड़ताल अब भी जारी है।

दिल्ली में उद्योगों का स्थानान्तरण

१७९५. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली की सभी दुग्धशालाओं, चमड़ा कारखानों और अन्य दुर्गंध फैलाने वाले उद्योग-धंधों को दिल्ली के शहरी हिस्सों से बाहरी क्षेत्रों में ले जाने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी हां, वृहत योजना के उपबन्धों के अनुसार कुछ उद्योगों को अस्वीकृत क्षेत्रों से हटाने और उनके लिए जमीन निर्धारित करने के प्रश्न पर दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम विचार कर रहे हैं। औद्योगिक एककों का सर्वेक्षण जारी है और ज्योंही वह पूरा हो जायगा, अस्वीकृत क्षेत्रों से विभिन्न एककों को हटाने का कार्यक्रम तैयार किया जायगा। इस कार्यक्रम में दुर्गन्ध फैलाने वाले उद्योगों को हटाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी।

दण्डकारण्य परियोजना

*१७९६. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दन्डकारण्य परियोजना प्राधिकार ने यह प्रार्थना की है कि दण्डकारण्य की भूमि को तीव्रगति से कृषि योग्य बनाने के लिए मशीनों और प्रविधिक योग्यता वाले कर्मचारियों की शीघ्रतापूर्वक व्यवस्था की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). दण्डकारण्य विकास प्राधिकार से यह कहा गया है कि अगले खेती के मौसम के लिये वे अपने कार्यक्रम को तीव्र गति से क्रियान्वित करें जिससे ८,००० कृषकों और २,००० गैर-कृषकों के परिवारों को वहां पर बसाया जा सके। दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकार ने १० अतिरिक्त पूर्णतः यंत्रीकृत एककों को खरीदने का प्रस्ताव किया है जिनमें १५० टैक्टर होंगे और जिस पर ३ करोड़ २५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय आयेगा। तथापि, ऐसा विचार है कि पहले पहले ४५ ट्रैक्टरों वाले केवल ३ पूर्णतः यंत्रीकृत यूनिटों को खरीदा जावे और इसके लिये वित्त मंत्रालय से १ करोड़ २० लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा आवंटित करने के लिए प्रार्थना की गई है। प्रविधिक कर्मचारियों की भरती/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन की ओर से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य करने के लिये अपेक्षित कर्मचारियों को स्वयं ही भरती करने का उन्हें अधिकार है।

केरल में क्षयरोग के प्रकोप का सर्वेक्षण

१७९७. **श्री प० कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में क्षयरोग के प्रकोप के बारे में जानकारी हासिल करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में क्षयरोग के नियंत्रण और उपचार के लिये केरल राज्य को कोई सहायता दी गई है ;

(घ) किन किन योजनाओं के लिये सहायता दी गई है ; और

(ङ) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां। १९५५-५७ में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा केरल में एक सवक्षण किया गया था।

(ख) सर्वेक्षण से यह पता चला कि २ प्रतिशत जनसंख्या क्षयरोग से पीड़ित है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में सम्मिलित निम्नलिखित योजनाओं को केरल सरकार केन्द्रीय सरकार की सहायता से चला रही है :—

(१) क्षयरोग क्लिनिकों की स्थापना ।

(२) क्षयरोगियों के लिये पृथक स्थानों पर पलंगों की व्यवस्था ।

(३) बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम ।

"क्षयरोगी पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना" सम्बन्धी एक योजना भी केरल सरकार ने राज्य के क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली है ।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में सम्मिलित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनावर्ती व्यय के ७५ प्रतिशत और आवर्ती व्यय के ५० प्रतिशत भाग के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है। तथापि, निर्धारित लेखा प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों की सरकारों को पृथक पृथक योजनाओं के लिये नकद अर्थसहायता नहीं दी जाती परन्तु एक साथ सम्मिलित कई योजनाओं को दी जाती है। इसलिये इस सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है कि क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम को मिला कर राष्ट्रीय योजनाओं के लिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम धनों से, अब तक, राज्य सरकारों ने नकद अर्थसहायता के रूप में वास्तव में कितना रुपया लिया है । तथापि, विद्यमान प्रतिरूप के अनुसार, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन केरल राज्य की क्षयरोग योजनाओं के लिये अब तक लगभग १० लाख १३ हजार रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है ।

(ङ) क्षयरोग सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में अब तक निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

(१) **क्षय रोग क्लिनिक** : द्वितीय योजना का निर्धारित लक्ष्य ९ क्लिनिक खोलने का है जिस में से एक खोला जा चुका है । ६ क्लिनिकों के भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और उन के १९६४-६५ के प्रारम्भ में खुल जाने की आशा है ।

(२) **क्षय रोगियों के लिए पृथक स्थानों पर पलंगों की व्यवस्था** :—तृतीय योजना का निर्धारित लक्ष्य ५०० पलंगों की व्यवस्था करना है। इनमें से २७९ पलंगों के लिये इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। आशा है कि १९६४–६५ तक उनका निर्माण पूरा हो जायेगा।

(३) **बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम** :—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान, जनवरी १९६४ के अन्त तक १० लाख ७३ हजार व्यक्तियों की ट्यूबरक्युलिन परीक्षा की गई और ३ लाख ६२ हजार व्यक्तियों को बी० सी० जी० टीके लगाये गये।

(४) **क्षय रोगी पुनर्वास केन्द्र** :—तृतीय योजना का निर्धारित लक्ष्य तीन केन्द्रों की स्थापना करना है। तीसरे केन्द्र के भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और यह आशा की जाती है कि अप्रैल, १९६४ में यह केन्द्र खोल दिया जायेगा।

तृतीय योजनाकाल में अब तक क्षयरोग के उपचार से सम्बन्धित निम्नलिखित कर्मचारियों को राष्ट्रीय क्षयरोग संस्था, बंगलौर में प्रशिक्षित किया जा चुका है :—

डाक्टर	.	५
प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ	.	५
एक्स-रे प्रविधिज्ञ		५
हैल्थ विजिटर		५
बी० सी० जी० दल नेता		२
		—
		२२
		—

प्रीमियम प्राइज बोण्डों के पुरस्कारों का निकालना

१७९८. **श्री सोनावने** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु बचत योजना के अधीन जारी किये गये प्रीमियम प्राइज़ बौंडों के दो पुरस्कारों को निकालने के लिए कौन सी तिथियां निर्धारित की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : तिथियां अभी तक अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गई हैं, परन्तु ऐसी सम्भावना है कि पहली बार के पुरस्कार मई १९६४ में निकाले जायेंगे और दूसरी बार के उसके दो महीने पश्चात।

अविवाहितों का वंध्योकरण

१७९९. **श्री सोनावने** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन योजना के अधीन अविवाहितों को प्रोत्साहन देकर उनका वंध्यीकरण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अदावी पुरस्कार[1]

१८००. **श्री सोनावने** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांच वर्षीय ब्याज-रहित पुरस्कार बौंड १९६५ योजना के अधीन कुल कितने रुपये के पुरस्कारों के दावे नहीं किये गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : २ दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक निकाले गये सभी पुरस्कारों से लगभग ५९ लाख रुपये ।

क्योंकि ये बौंड धारक[2] को देय बौंडों के रूप में जारी किये गये हैं अत: पुरस्कार की राशि तभी दी जा सकती है जब कि बौंड-धारक उसकी मांग करें । परिणामों का व्यापक प्रकाशन किया जाता है और अदावी पुरस्कारों[1] की सूचियां भी समय समय पर प्रकाशित की जाती रहती हैं ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

१८०१. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ के दौरान पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में ऋण लेने वाले व्यक्तियों की गारंटी देने वालों के विरुद्ध कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस अवधि में गारंटी देने वालों से कितना रुपया वसूल किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) गारंटी देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी मामला न्यायालय को नहीं सौंपा गया है, परन्तु उन लोगों से लगान की बकाया राशि के रूप में ऋणों की वसूली के ८११ मामले समाहर्ताओं (कलक्टर्स) को सौंपे गये हैं ।

(ख) गारंटी देने वाले व्यक्तियों से रुपया वसूल करने के सम्बन्ध में कोई पृथक अभिलेख नहीं जाते हैं क्योंकि इस जानकारी को एकत्रित करने में बहुत अधिक समय तथा श्रम लगता है और कठिनाई होती है ।

श्रव्यतामापी केन्द्र[3]

१८०२. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहिरेपन की किस्म और स्वरूप की जांच करने के लिये १९६३–६४ में भारत-सरकार द्वारा कितने श्रव्यतामापी केन्द्र खोले गये हैं ?

---

[1] Unclaimed prizes.

[2] Bearer.

[3] Audiomete Centres

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : बहरेपन की किस्म और स्वरूप की जांच करने के लिये देश में पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खोले गये श्रव्यतामापी केन्द्रों की स्थिति निम्न-लिखित है :

वर्ष	खोले गये केन्द्रों की संख्या	राज्यों के नाम जिनमें केन्द्र खोले गये
१९६१–६२	चार	पंजाब, गुजरात, केरल और दिल्ली राज्य में प्रत्येक में एक ।
१९६२–६३	चार	मैसूर : १ केन्द्र पंजाब : २ केन्द्र दिल्ली : १ केन्द्र
कुल योग	८	

१९६३–६४ से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है । २१ राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त हुए उत्तरों से यह पता चलता है कि १९६३–६४ में कोई नये केन्द्र नहीं खोले गये ।

चोरी छिपे लाई/लेजाई गई मुद्रा

१८०३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई से दिसम्बर, १९६३ तक सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने कितने रुपये के मूल्य की चोरी छिपे लाई/ले जाई गई मुद्रा पकड़ी थी;

(ख) उसमें से अब तक कितनी मुद्रा का निबटान नहीं किया गया है अथवा वह अदावी (अनक्लेम्ड) पड़ी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सीमा-शुल्क, भू-सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मई से दिसम्बर १९६३ तक की अवधि में चोरी छिपे लाई/ले जाई गई, भारतीय और विदेशी दोनों ही प्रकार की लगभग १० लाख ५० हजार रुपये के मूल्य की मुद्रा पकड़ी थी (विशाखापटनम सीमा-शुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई मुद्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और वह इसमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं) । इसके अतिरिक्त, ६५६७ चीनी सिक्के और १३५०० तिब्बती सिक्के भी पकड़े गये थे ।

(ख) इस प्रकार पकड़ी गई इस मुद्रा में से, २९ फरवरी, १९६४ को लगभग ८ लाख ५० हजार रुपये के मूल्य की मुद्रा के मामले निबटाये नहीं गये थे और लगभग २६,००० रुपये के मूल्य की मुद्रा अदावी (अनक्लेम्ड) पड़ी थी । चीनी और तिब्बती सिक्कों के मामले भी नहीं निबटाये गये थे अथवा वे अदावी पड़े थे ।

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां

१८०४. श्री धर्म लिंगम :
श्री मुत्तु गौंडर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि के अधीन इस बात की अनुमति दी गई है कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी एक ही परिवार अथवा संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा बाहर के अंशधारियों को सम्मिलित किये बिना ही चलाई जा सकती है; और

(ख) क्या ऐसी प्रणालियों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

केरल में लक्कादीव द्वीप समूह के विद्यार्थी

१८०५. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र के बहुत से विद्यार्थियों को केरल के अलापुज़ा थिरुमालाई देवंस्वम मेडिकल कालेज में प्रवेश दे दिया गया है;

(ख) क्या केरल विश्वविद्यालय ने अब यह बात देखी है कि जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है वे अपेक्षित अर्हता प्राप्त नहीं हैं;

(ग) चिकित्सा पाठ्यक्रम में कितने वर्षों से उनका अध्ययन जारी है; और

(घ) उसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि इन विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा न पड़े ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ). लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनदीव द्वीपसमूह संघ राज्य-क्षेत्र के पांच विद्यार्थियों को केरल के अलापुज़ा थिरुमालाई देवंस्वम मेडिकल कालेज में २६ अगस्त, १९६३ को प्रवेश दिया गया था । केरल विश्वविद्यालय ने २१ फरवरी, १९६४ को यह सूचना दी कि चिकित्सा-पूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिये ये विद्यार्थी अर्हता प्राप्त नहीं थे क्योंकि विश्वविद्यालय-पूर्व परीक्षा में उन्होंने ४५ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये थे । इस मामले पर पुनः विचार करने की प्रार्थना किये जाने पर केरल विश्वविद्यालय ने १० मार्च , १९६४ को, उनके प्रवेश के मामले को एक विशेष मामले के रूप में मान कर, उनके प्रवेश को नियमित रूप दिया और वह इस शर्त पर कि इस मामले को पूर्वोदाहरण के रूप में न समझा जाये । इन विद्यार्थियों को कालेज से निकाला नहीं गया था और उनके अध्ययन में कोई बाधा नहीं पड़ी थी ।

पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी

१८०६. श्री गुलशन :
श्री य० ना० सिंह :
श्री प० ह० भील :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के शरणार्थियों की पंजाब में भूमि, नैवासिक स्थान और दुकानें देने का कोई आश्वासन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को भूमि, नैवासिक स्थान और दुकानें दी गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) मकानों, दुकानों, भूमि आदि के आवंटन के मामले में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के और अन्य जातियों के विस्थापित व्यक्तियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता है। इसलिये, पिछड़े वर्गों के विस्थापित व्यक्तियों को कोई आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) इसके अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

केरल में सिंचाई परियोजनायें

१८०७. **श्री प० कुन्हन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने उस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितने रुपये की मांग की गई है और किन किन परियोजनाओं के लिये; और

(ग) क्या सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). केरल सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित छः नई परियोजनाओं, अर्थात् पम्बा, कुट्टियाडी, चित्तुरपुजा, कल्लड़, कन्जीशप्पुजा और पामास्सी, के लिये, सिंचाई शीर्ष के लिये योजना में निर्धारित अधिकतम सीमा के अतिरिक्त २ करोड़ से ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की मांग की है।

(ग) जी, नहीं।

सुनारों के विरुद्ध मुकदमे

१८०८. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुनारों के विरुद्ध (१) २१ सितम्बर, १९६३ से पहल और (२) २१ सितम्बर, १९६३ से लेकर जनवरी, १९६४ के अन्त तक कितने मुकदमे दायर किये गये;

(ख) २१ सितम्बर, १९६२ से पहले और २१ सितम्बर, १९६३ से लेकर जनवरी, १९६४ तक सुनारों से कितनी मात्रा में सोने के जेवरात पकड़े गये थे;

(ग) क्या दायर किये गये मुकदमों को वापस लेने और २१ सितम्बर, १९६३ से पहले पकड़े गये जेवरात के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) २१ सितम्बर, १९६३ से पहले अथवा उस तिथि से लेकर जनवरी, १९६४ के अन्त तक सुनारों के विरुद्ध कोई मुकदमे नहीं चलाये गये थे ।

(ख) २१ सितम्बर, १९६३ से पहले १,३२,९३५ ग्राम सोना और २१ सितम्बर, १९६३ से लेकर ३१ जनवरी, १९६४ की अवधि में १८,४४३ ग्राम सोना सुनारों के पास से पकड़ा गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) क्योंकि २१ सितम्बर, १९६३ को मैंने जो वक्तव्य दिया था उसके अनुसरण में स्वर्ण नियंत्रण नियमों में किये गये संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से नहीं हैं अतः उस तिथि से पहले पकड़े गये अपराधों को उन्हीं नियमों के अनुसार निपटाया जायेगा जो कि उन मामलों से संगत समय पर प्रभावी थे ।

दिल्ली से सरकारी कार्यालयों का बाहर ले जाया जाना

१८०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से अन्य स्थानों पर भेजने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) १९६३ में किन कार्यालयों को बाहर भेजा गया है तथा उन्हें किन स्थानों पर भेजा गया है;

(ग) उस पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) चालू वर्ष में किन कार्यालयों को बाहर भेजने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) १ जनवरी, १९६३ से ११ कार्यालयों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप में बाहर भेजा गया है ।

(ख) एक विवरण (अनुबन्ध १) सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-२६२६/६४]**

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) एक विवरण (अनुबन्ध २) सभा-पटल पर रखा गया है । **[पुस्तकलाय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-२६२६/६४]**

EQUIPMENT FOR GOLD MINES IN MYSORE

1810. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that Government of India would be getting equipment from a British firm for increasing the output from the gold mines of Mysore; and

(*b*) if so, by when and the value thereof?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (*a*) Among the gold mines in Mysore State, the Central Government is concerned with the administration of the Kolar Gold Mining Undertakings only. These Undertakings have no scheme for getting any equipment from a British Firm for increasing the output of gold from their mines.

(*b*) Does not arise.

योग अनुसंधान मंत्रणा समिति

१८११. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १२ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४८ तथा उसके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योग अनुसन्धान मंत्रणा समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ख) इस विशेष क्षेत्र में उनकी अर्हता तथा अनुभव क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) योग अनुसन्धान मंत्रणा समिति में निम्न लिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

१. सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय	सभापति
२. उप सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय	सदस्य
३. उप वित्तीय सलाहकार (स्वास्थ्य) . . .	सदस्य
४. डा० सी० जी० पंडित, निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य
५. डा० बी० के० आनन्द, प्रोफसर ऑफ फिजिऑलोजी, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (ए० आई० आई० एम० एस०), नई दिल्ली	सदस्य
६. उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय	सदस्य
७. आई० एस० एम के सलाहकार, स्वास्थ्य मंत्रालय .	सदस्य सचिव

(ख) समिति का काम योग के चिकित्सीय और अन्य पहलुओं के वैज्ञानिक अनुसन्धानों और इन संस्थाओं को अनुसन्धान के लिये सहायता देने सम्बन्धी मामलों पर सरकार को सलाह देना है इसलिये इस में स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी और अनुसन्धान से सम्बन्धित तकनीकी कर्मचारी शामिल किये गये हैं। डा० सी० जी० पंडित, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के निदेशक हैं, डा० बी० के० आनन्द अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में फिजिऑलोजी के प्रोफसर हैं और डा० सी० द्वारकानाथ स्वास्थ्य मंत्रालय में आई० एस० एम० के सलाहकार हैं। सबंधित क्षत्रों में उन्हें अनुसन्धान कार्य का अनुभव है। डा० आनन्द ने वास्तव में योग के कई पहलुओं पर अनेक दिलचस्प अनुसन्धान किये हैं, जैसे कि योगियों के दिल की धड़कन का नियंत्रण, समाधि और बंद या जमीन के अन्दर रह कर जीवित रहना। शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि समिति के विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य सलाह देता है और विशेषत: स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के बीच कार्यवाहियों के समन्वय को सुनिश्चित करता है।

बर्मा से मनीपुर में चोरी से माल का लाया जाना

१८१२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विदेशी माल और सोना बड़ी मात्रा में बर्मा से मनीपुर में चोरी छिपे लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो १९६२ और १९६३ में सीमा शुल्क विभाग द्वारा कितने मामलों का पता लगाया गया और कितना माल पकड़ा गया;

(ग) शुल्क और जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(घ) तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जहां तक सरकार को पता है, बर्मा से मनीपुर में विदेशी माल चोरीछिपे बड़े पैमाने पर नहीं लाया जा रहा है। १९६२ में १४५ मामलों में लगभग ४६,००० रु० के मूल्य का माल पकड़ा गया था। १९६३ में २२५ मामलों में लगभग ६५,५०० रु० के मूल्य का माल पकड़ा गया। इन वर्षों में कोई सोना नहीं पकड़ा गया।

(ग) १०८ रु० जुर्माने के रूप में।

(घ) सीमा पर सभी सम्भव सतर्कता रखी जाती है।

Rural Water Supply in Bihar

1813. **Shri Sidheshwar Prasad**
Shri P. R. Chakraverti: Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the amount allotted for rural water supply during the Third Five Year Plan period in Bihar and the amount spent out of it by the end of 1963 ; and

(b) the details of the schemes executed in this regard ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The amount allotted for Rural Water Supply under the National Water Supply & Sanitation Programme during the 3rd Plan period for the State of Bihar is Rs. 10.00 lakhs. Information in respect of the amount spent out of it by the end of 1963 is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the Sabha when received.

(b) During the 3rd Five Year Plan the following Rural Water Supply Schemes have been approved under the National Water Supply and Sanitation Programme :—

		Estimated Cost (Rs. in lakhs)
1.	Barbigha and Maur villages	2.67
2.	Chanre and other 16 villages	6.14
3.	Nabinagar Extention	3.83
4.	Latehar, Durana & Railway Station	1.60

As for the Schemes executed information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सूती कपड़ा तैयार करने वाले विद्युत चालित करघों पर उत्पादन शुल्क

१८१४. **श्री जेधे :**
श्री मा० ल० जाधव :
श्री लोनीकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ में विद्युत चालित करघों और माल तैयार करने के खाते में सूती कपड़ा तैयार करने वाले विद्युत चालित करघों (पावरलूम्स) से कितना उत्पादन-शुल्क अर्जित किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि औसत वार्षिक आय घट रही थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-२६२७/६४]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभिन्न प्रकार के सूतों पर उत्पादन शुल्क लगाना

१८१५. **श्री जेधे :**
श्री मा० ल० जाधव :
श्री लोनीकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न किस्म के सूतों जैसे कि भारतीय रुई से कते हुए सूत, आयात की हुई रुई से कता हुआ सूत और भारतीय और आयात की गई मिली जुली रुई से कते हुए सूतों पर उत्पादन शुल्क लगाने में कोई भेदभाव बरता जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका किस प्रकार हिसाब लगाया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि ५१ 'फ्रेंच काउन्ट' तक का सूत भारतीय रुई से काता जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उत्पादन शुल्क लगाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). सूत पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने के लिये आयात की गई रुई अथवा स्वदेशी रुई अथवा आयात की गई तथा स्वदेशी मिली–जुली रुई से कते हुए सूत में कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता है । तथापि, विभिन्न काउन्ट के सूतों के लिये शुल्क की विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं, जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक १ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या ४५/६४—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में दिया गया है, जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-२६२८/६४]**

(ग) यह सच है कि भारतीय कपास की कुछ ऐसी किस्में हैं जिन से ५१ 'फ्रेंच कांउट' तक का सूत काता जा सकता है। परन्तु इस किस्म की रुई की मात्रा बहुत थोड़ी है।

(घ) जी हां। यह उन बातों में से एक है जिन पर विचार किया गया था।

Personal Properties

1816. **Shrimati Chavda :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of persons in the country possessing property worth more than Rs. 20 lakhs ; and

(b) the number of persons possessing property worth more than Rs. 50 lakhs?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : As on the 31st March, 1963:—

(a) the number of individuals and Hindu Undivided Families having a "net wealth" of over Rs. 20 lakhs on the basis of their last completed assessment to wealth-tax or where no such assessment was completed on the basis of the "net wealth" shown in the latest return, was 597

(b) Out of (a) above, 125 persons had a "net wealth" above Rs. 50 lakhs.

नये उद्योगों के लिये केन्द्रीय सहायता

१८१७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों को बसाने के लिये नये उद्योग चलाने के लिये कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण मांगा गया है ;

(ग) क्या आसाम से भी ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो कितनी राशि के लिये ; और

(घ) सरकार ने इन प्रार्थनाओं पर क्या निर्णय किये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (घ) आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा की सरकारों ने ऐसे उद्योग चलाने के लिये सुझाव दिया है जिनमें कि पाकिस्तान से आये नये प्रव्रजकों को काम दिलाया जा सके। योजनाओं के प्राप्त होने पर उन की शीघ्र ही जांच कर ली जायगी।

Compulsory Deposit Schemes

1818. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the additional staff employed to handle the compulsory deposit scheme at the time of its imception;

(b) the monthly expenses incurred thereon;

(c) the value of stationery and other essential articles purchased when the scheme was brought into operation ; and

(d) the total collections deposited under the compulsory deposit scheme?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) & (b) Apart from the staff employed in the deposit offices who have to be reimbursed of their actual costs, no additional staff was entertained by Government for the working of the Compulsory Deposit Scheme. Complete information about the costs of the deposit offices is not yet available.

(c) Rs. 19.23 lakhs, approximately.

(d) As per revised estimates, the net collections in 1963-64 are expected to amount to Rs. 15 crores.

शाहदरा (दिल्ली) के निकट कुष्ठ रोगियों की बस्ती

१८१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा (दिल्ली) के समीप कुष्ठ रोगियों की बस्ती के लिए एक प्रसूति केन्द्र खोलने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या शाहदरा की इस बस्ती में कुष्ठ रोगियों को बड़े पैमाने पर बन्ध्य बनाने की भी योजना है जिससे कि इस रोग को आने वाली पीढ़ियों में फैलने से रोका जा सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) भारत सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन की ऐसी कोई योजना नहीं है । तथापि कुष्ठ रोगी सेवा समिति—एक स्वयं सेवी संस्था—का शाहदरा के समीप आनन्द ग्राम बस्ती में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिये एक प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । पता चला है कि इस केन्द्र के निर्माण के लिए अपेक्षित धन जोर बाग महिला क्लब देगी जबकि अन्य मदों के लिये खर्च कुष्ठ रोगी सेवा समिति देगी ।

(ग) कुष्ठ रोगियों को बड़े पैमाने पर बन्ध्य बनाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि कुष्ठ रोग ठीक होने वाला रोग है । यह वांछनीय है कि जब वे कुष्ठ रोग से पीड़ित हों तो उनके सन्तान नहीं होनी चाहिये । कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को यह सुविधा दी जाती है कि यदि वे चाहें तो बन्ध्य बन सकते हैं और ६० व्यक्तियों का बन्ध्यीकरण किया गया है । तीरथ राम शाह हस्पताल का एक डाक्टर आनन्द ग्राम बस्ती में बन्ध्यीकरण का काम करता है ।

उद्योग के लिये पुनर्वित्त निगम

१८२०. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक उद्योग के लिये पुनर्वित्त निगम ने प्रार्थी उद्योगपतियों के साथ क्या वायदे किये ;

(ख) कितनी राशि मंजूर की गई और कितनी वास्तव में दी गई और उस तारीख तक प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये कितनी और राशि दी जायेगी ; और

(ग) क्या इन सौदों के लिये कुल पैसा निगम के अपने संसाधनों से उपलब्ध हो जायेगा और यदि नहीं, तो इसके वित्त को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) ब्योरा निम्न प्रकार है :

	राशि (करोड़ रुपयों में)
दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक ऋणों के लिये निगम द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र .	६३.८१
स्वीकृत आवेदन पत्र	५१.२१
व्यपगत समझी गई मंजूरियां . . .	३.१३
प्रयोग में न लाई गई मजूरिया	२.८५
पुनर्वित्त बांटा गया	२८.१७
ऋण जोकि अभी दिये जाने हैं	१७.०६

(ग) निगम के संसाधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा मजूर ऋणों से वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम के लिये मंजूर की गई २६ करोड़ रु० की सारी की सारी राशि ले ली गई है और उसे उपयोग में लाया जा चुका है, परन्तु निगम को २५ करोड़ रु० तक की राशि का दूसरा और अनपूरक ऋण देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

सीक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

१८२१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद का निर्माण निश्चित कार्यक्रम से पीछे है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) मूल कार्यक्रम के अनुसार आशा थी कि सीक्योरिटी पेपर मिल सितम्बर, १९६४ तक उत्पादन आरम्भ कर देगी। तथापि, आशा है कि मिल के चालू होने में लगभग आठ महीने की देर और लग जायेगी।

(ख) मुख्य कारण यह है कि मिल की इमारत के निर्माण के लिये ठेका देने में देर लगी, क्योंकि उपयुक्त ठेकेदार उपलब्ध नहीं थे। यह ठेका इस बीच में दिसम्बर, १९६४ तक काम पूरा करने के लिये दे दिया गया है और निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग पर हो रहा है।

आयकर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

१८२२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३ में आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिये कुछ क्वार्टर बनवाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों की संख्या क्या है ; और

(ग) १९६४ में कितने क्वार्टर बनवाये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

Government Hospitals in Delhi

1823. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have constituted a Committee for the supervision of Government hospitals in Delhi;

(b) if so, the functions of the Committee;

(c) the Composition of the Committee ;

(d) whether that Committee would supervise all the Government hospitals in Delhi ?

The Minister of Health (Dr Sushila Nayar) : (a) Two separate Advisory Commttees have been constituted for the two Central Government hospitals in Delhi, viz. Safdarjung and Willingdon Hospitals.

(b) & (c) A statement is attached. **[Placed in Library See No LT 2629/64]**

(d) No.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में
RE: CALLING ATTENTION NOTICES

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): सीमान्त क्षेत्रों में जो दो बार हैलीकाप्टर देखे गये थे, उस विषय में मैंने ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी । प्रतिरक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यह खबर गलत है । परन्तु चूंकि यह खबर बंगला पत्रों में फिर छपी है इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस बारे में कुछ कहें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि यह खबर गलत है तो फिर आप क्या चाहते हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान के एक हेलीकोप्टर और डकोटा विमान द्वारा त्रिपुरा में भारतीय वायु क्षेत्र का कथित अतिक्रमण

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"२७ मार्च, १९६४, को एक पाकिस्तानी हैलीकाप्टर तथा एक डकोटा विमान द्वारा त्रिपुरा में भारतीय वायु क्षेत्र का कथित अतिक्रमण ।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सरकार ने समाचारपत्रों में यह खबर देखी है कि २८ मार्च को त्रिपुरा में धर्मनगर के हाफलांग-चेरा क्षेत्र में भारतीय राज्य-क्षेत्र के ६ मील अन्दर तक एक पाकिस्तानी हैलीकाप्टर ने उड़ान की और उसी दिन दक्षिण त्रिपुरा में एक पाकिस्तानी डकोटा विमान ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया । हैलीकाप्टर के बारे में सरकार को जान-

कारी नहीं है । डकोटा विमान के बारे में त्रिपुरा प्रशासन से सूचना मिली है । उस प्राप्त सूचना के अनुसार हमारी वायु सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ ।

श्री रा० बरुआ : जब पाकिस्तान द्वारा हमारे कैनबर्रा को गिराया जा सकता है तो हम भी उन के विमान को क्यों मार्ग में रोक नहीं सकते ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं तो कल की खबर की चर्चा कर रहा हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने समाचारपत्रों के अतिरिक्त स्वयं अपने साधनों द्वारा अविलम्ब जानकारी प्राप्त करने के बारे में क्या कदम उठाये हैं और इन सीमांत घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम कोशिश करते हैं कि जहां तक सम्भव हो हमें ऐसी घटनाओं की सूचना अविलम्ब मिल जाय ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : क्या सरकार द्वारा राडार आदि ऐसे यंत्र सीमान्त क्षेत्रों में लगाने के लिये कार्यवाही की गई है जिस से नीचे उड़ान करने वाले विमानों की पूर्व सूचना मिल सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने स्थानीय प्राधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि किस तरह ऐसी स्थिति में कार्यवाही की जाय, परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इस विशेष क्षेत्र के लिये राडार आदि उपकरण दिये जायेंगे ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जब भी पाकिस्तानी विमान हमारी सीमाओं का उल्लंघन करेंगे उन्हें नीचे गिरा लिया जायगा । तो उस आश्वासन को पूरा न कर के क्या सरकार ने संसार के समक्ष अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं किया ?

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : क्या यह बात मालूम करने के लिए कोई व्यवस्था है कि कब शत्रु के विमान हमारी वायु सीमा का उल्लंघन करते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस क्षेत्र विशेष में विमानों द्वारा निगरानी की व्यवस्था नहीं है ।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : मैं जानना चाहता हूं कि सभा का समय व्यर्थ में नष्ट करने की बजाय सरकार द्वारा समाचारपत्र की खबरों का खण्डन क्यों नहीं किया गया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि सूचना हमें प्राप्त हो जाय तो खण्डन कर दिया जाता है और यदि सूचना न मिली हो तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : Since the Defence Ministry do not get the news first, has the Army Intelligence Department been asked to be more vigilant regarding this matter in future ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में तो स्थायी हिदायतें हैं । सामान्यतया, त्रिपुरा के मामले में सूचना प्राप्त करने के सिलसिले में हम त्रिपुरा प्रशासन पर निर्भर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उचित नहीं है कि राज्य सरकारों से भी इस बारे में कहा जाय ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम राज्य सरकारों से भी कह देंगे ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICES

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : On a Point of Order, Sir.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : On a Point of Order, Sir.

Mr. Speaker : No point of order can be raised since there is no business in hand.

Shri Ram Sewak Yadav : I had given notice of a Calling Attention Notice regarding Shri Datar. I want to know why that has been disallowed?

Mr. Speaker : Has it not been conveyed to you that the news about Shri Datar was wrong?

Shri Ram Sewak Tadav : No, Sir.

Mr. Speaker : Now I am telling you that the news about Shri Datar was unfounded and Shri Datar's son has given notice of defamation proceedings against the persons concerned.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भ्रष्टाचार निरोधक समिति का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं भ्रष्टाचार निरोधक समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६२०/६४]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार समिति ने दूसरे प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की हैं उन्हें उसी तरह स्वीकार करेगी जिस प्रकार अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था ?

श्री नन्दा : मुझे अभी अभी यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । मैं इसे देख कर कार्यवाही करूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : एक औचित्य का प्रश्न । क्या यह भी हो सकता है कि एक दस्तावेज को पढ़े बगैर ही सभा पटल पर रख दिया जाय ? **(अन्तर्बाधा)**

श्री नन्दा : समिति के कुछ सदस्यों ने कहा था कि चूंकि इस प्रतिवेदन को देखने में समय लगेगा इसलिये इस को पहले सभा पटल पर रख दिया जाय । इसलिये मैं ने इसे रखा है ।

वर्ष १९६४–६५ के लिये अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं अप्रैल, १९६४–मार्च, १९६५ तक के लिये अखबारी कागज की आयात नीति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय की दिनांक २ अप्रैल १९६४ की सार्वजनिक सूचना संख्या २८–आई टी सी (पी एन)/६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २६२१/६४]**

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली के अन्तर्नियमों में संशोधन

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : : मैं हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली के अन्तर्नियमों में संशोधन संबंधी विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६२२/६४]**

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

ससद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं ने कहा था कि विभिन्न मंत्रालयों संबन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान संबन्धी कार्यवाही १५ अप्रैल, १९६४, को ५ बजे तक समाप्त करने के लिये शनिवार, ११ अप्रैल को सभा की विशेष बैठक होनी अनिवार्य है।

कुछ माननीय सदस्य : हम इससे सहमत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा इस से सहमत नहीं है तो उसपर यह निर्णय लादा नहीं जा सकता।

कुछ छोटे दलों के सदस्यों ने, जो प्रत्येक मांग पर बोलने का अवसर चाहते हैं, मुझे लिखा है कि "This is an encroachment upon their rights". इसके अतिरिक्त जब मैं ने श्री बागड़ी को हिन्दी में उत्तर दिया तो दो माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा कि "क्या यह सभा पर हिन्दी भाषा को लादने का विश्वासघातपूर्ण प्रयास है ?" माननीय सदस्यों को मुझे नम्रतापूर्वक लिखना चाहिये। मैं ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकता। माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद होना चाहिये परन्तु वह ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते।

मैं समाजवादी दल के नेता, श्री यादव से कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य नहीं चाहते कि शनिवार को सभा की बैठक हो, तो मैं उन के दल के सदस्यों को प्रत्येक मांग पर चर्चा के समय बोलने का अवसर नहीं दे सकूंगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : My point is that the consideration, for giving time to speak on various Demands, should be that whether a party has some definite political policy or not. It is not proper to give opportunity to a Member on the basis of availability of time or on the basis of time schedule for conducting the business of the House.

Unfortunately the word "encroachment" has been used. I am sorry if you have taken it in the personal sense. I had used this word in regard to the way in which business is conducted at the instance of the majority party.

Mr. Speaker : Now you have said something more objectionable.

Shri Ram Sewak Yadav : I withdraw the words "at the instance of". I had no intention to use these words. My submission is that you may extend the sittings or extend the time of the sittings, but the number of Members in a particular party should not be the criterion for giving time to the Members of that party. Otherwise only Congress Members will have most of the time.

Mr. Speaker : The hon. Member must know that there is no dispute between Congress and the opposition. We had decided to give 60 per cent of the time to Congress Members and the remaining 40 per cent to the opposition Members. I see that the Congress Members get sometimes, only 50 per cent. of the time, and during that time Ministers take a number of hours. So, as I said, it is not a dispute between the Congress and the opposition Members.

As regards the remaining 40 per cent of the time, it is the opposition parties themselves who have to decide about it. When no Member of the opposition is prepared to take even one minute less than the fixed time, how can I give time to other Members to speak at every occasion. My difficulty is that there is no time available, unless some other Members are prepared to spare some time for others. The representatives of the opposition parties may come and see me, and suggest some remedy. I personally have no objection in giving time to all Members.

Shri Sheo Narain (Bansi) : All the hon. Members represent some or the other constituency, therefore, you should give time to all Members. It is their right. It depends upon you to consider all Members as equals.

Mr. Speaker : The opposition has to be shown greater consideration if it is weak.

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा अनुरोध है कि सरकार वित्त विधेयक को २१ अप्रैल की बजाय २२ अप्रैल को पारित करके इस समस्या का समाधान करे।

श्री सत्य नारायण सिंह : हम ने इस बारे में पूरा विचार किया है। हम इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि वित्त विधेयक एक निर्धारित तिथि तक, यानी २१ अप्रैल तक अवश्य पारित किया जाना है। सरकार इस विषय में जोखिम लेना नहीं चाहती।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : It will not be proper to allot time for the whole session at the same time. Separate time should be allotted for every Demand. A Member may even be given two minutes. . . .

Mr. Speaker : The same procedure is being followed.

क्या सभा शनिवार के रोज बैठने के लिये तैयार है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

Dr. Ram Manohar Lohia : We are prepared to sit on any day except Saturday.

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस के लिये मान जायें। मैं स्वंय यही चाहता हूं कि सप्ताह में दोदिन बैठक नहीं होनी चाहिये। भविष्य में सभा के कार्य का समय निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय।

अनुदानों की मांग—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

स्वास्थ्य मंत्रालय—जारी

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : To improve the Water Supply conditions in the rural areas, sufficient finances are not being made available. According to the direction of the Planning Commission no such scheme should be allowed to remain unimplemented due to shortage of funds. The State Government have demanded Rs. 100 crores for well programmes. But upto this time the Central Government have not provided the adequate funds. It had its ill effects so far as the scheme of Water Supply in the rural areas is concerned. A reference to this effect is also found in the Mid-term appraisal.

I would like to say something about the area of 3000 miles covering about 300 villages in Maharastra, where the water is saltish. Even the animals do not drink this water. My submission is that in such areas at least the protected water supply scheme should be started as soon as possible. The difficulty in this connection is that the Central grant is only 50 per cent. The remaining 50 per cent is to be borne by the State Governments. They are hesitating to bear this expenditure. I think 75 per cent should be given by the Central and the State Government should bear only 25 per cent. People should not be asked to pay anything as they are already very poor.

In this connection, I want to draw the attention of the house to the Primary Health Centre Scheme. This is a good scheme. Under this scheme the medical health examination of the School Children should be done. The progress of the health Centre Scheme is not satisfactory. This scheme has also received a set back due to the shortage of Doctors. It has been stated that various measures have been suggested to attract doctors to rural Centres. There are 511 Health Centres where the doctors have not been appointed. Doctors do not want to go to the rural areas and a lot of discrimination is done between urban and rural. Practically there is no health service available in the rural areas. I submit that some plan target should be fixed and pure water supply may be arranged either by the end of Third Five Year Plan or in the beginning of Fourth Plan.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Our main difficulty is that we are becoming more international, whereas we ought to be more national. We are spending Rs. 300 crores for the health. Most of this money will go in the Foreign countries. We can save this money by encouraging indigenous system of medicine. There is a great need of encouring the indigenous system. Ayurveda, is suited to the conditions of our Country. It is being ignored and injustice is being done to this system. My demand is that it should be given the pride of place in our Health Programme. And the step motherly treatment that it has received so far frem the administration should be done away with.

Government should also provide adequate Funds for the promotion and popularization of Ayurveda. To all the heath problems of the country, we should have an integrated approach, and the Ayurvedic System should be emphasised in theory and practice.

We should spend some money on the health propaganda. Literature should be published on health education. People should be made conscious about the dangers of over eating etc. Most of the diseases spread due to over eating. I should also like to urge upon the Government that it should encourage the system of treatment which was patronized by Gandhiji' *i.e.* nature cure. My idea is that people's health could thus be looked after with little expense and we should try that allopathy should have no partial treatment. This slogan of 'Vishudha Ayurveda' is raised to harm it. Its main aim is to discourage and decry ayurveda so that it remained deprived of the advantages of the Modern Scientific devices.

The Ayurvedic practitioners should not be discriminated against in the matter of pay scales etc. their salaries should also be increased. Together with that Government should also ensure genuiness and purity of medicines. I will also suggest that a directorate should also be set up to test the efficacy of various medicines. I would appeal to the Government that no injustice should be done to the students of Tibbia College. Government should also consider sympathetically the demands of the Students, union of the Aurvedic Vidyapeeth, Delhi.

There is a great difficulty of drinking water. Government should take effective steps to ensure good supply of portable water. This problem should be especially solved in the rural areas.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The registration Vadiyas has been stopped, and no registration has been done for the last four years. There should be proper arrangements for the registration of Vadiyas. And all restrictions should be placed on the functioning of the bogus institutions. Education in Ayurveda should be imparted to the students in the schools from the very beginning,so that they should develops the health consciousness at an early stage in life. I will also urge that proper research should be carried out for the treatment of dangerous diseases like Cancer. All those things like smoking and consumption of tabacco which led to cancer and other such like diseases should be restricted. In the end I will say only this that if you wish to make your country free from all diseases, we should follow the path of Gandhiji, and we should give all encouragement to Ayurvedic System.

श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरी) : हमें छुआ छूत वाले रोगों के विरुद्ध लड़ना है और इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना है कि लोग स्वस्थ्य जीवन व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य के लिये १९६४-६५ में जो धन खर्च करने के लिए मांगा जायेगा, स्वीकार कर लिया जायेगा। मलेरिया और चेचक को दूर करने की दिशा में जो प्रयत्न हुए हैं वे बहुत ही सराहनीय है। हैजा, टायफायड फेलीरिया प्लेग के परिणाम तो अच्छे हैं परन्तु कैंसर, कुष्ट तथा तपेदिक के बारे में कार्य सन्तोषजनक, नहीं है।

इस संदर्भ में मेरा सुझाव यह है कि ग्रामों से प्रारम्भ करके क्षयरोग की घरेलू चिकित्सा शुरू की जाय तथा सरकार उनको वित्तीय सहायता दे। उन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाय।

[श्रीमती अकम्मा देवी]

सरकार सुनिश्चित करे कि क्षय रोग के बीमारों के लिये जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर रोगोपरांत उपचारालय खोले जायें ताकि न केवल उन्हें पोषक आहार ही मिल सके बल्कि उन्हें छोटे उद्योगों में प्रशिक्षण भी मिले तथा उन्हें अपने परिवारों के बनाए रखने के लिए उत्पादन यूनिट बनाने दिए जायें।

दक्षिण भारत में कनूर स्थित पाएिटयर संस्था जैसी संस्थाओं को, जो कि अनुसन्धान के क्षेत्र में बहुत उपयोगी काम कर रही हैं, प्रोत्साहित किया जाय ताकि वे डाकटरों और सहायकों को अच्छे वेतन दे सकें। उन्हें वित्त की चिन्ता किये बिना अपनी आंकाक्षाओं की पूर्ति के निमित्त काम करने दिया जाय। वार्षिक २०६६०० रुपये का अनुदान इस संस्था को दिया गया है। प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्रों और परिवार आयोजन का काम एक साथ होना चाहिये उन्हें अलग अलग करके हम वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्रों को अनुभवी डाक्टरों के प्रभार से रखना चाहिये तथा कालेजों से निकले ताजा डाक्टरों के अधीन नहीं।

परिवार आयोजन के बारे में प्रचार अभी बहुत कम है। प्रचार सामग्री देश के भीतरी क्षेत्रों तक पहुंचनी चाहिये। प्रचार सामग्री के साथसाथ दृश्य सहायताओं से बहुत योग मिलेगा। हमारे परिवार आयोजन के कार्यक्रम में स्वास्थ्य प्रकार की प्रतियोगिता होनी चाहिये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक मैडिकिल कालेज चलाये जाने चाहियें। जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक जिला को 'कोटा' मिलना चाहिये। लड़कियों के लिये 'कोटा' निश्चित होना चाहिये तथा पिछड़े क्षेत्रों से लड़कियों को तरजीह दी जाय।

डा० प० मण्डल (विष्नुपुर) : मैं स्वास्थ्य मंत्रियों को बधाई देता हूं। पहली बार दोनों मंत्री चिकित्सकों में से बने हैं। स्वास्थ्य राष्ट्र की सम्पत्ति है और इस के लिये प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है। परन्तु वर्तमान आय-व्ययक में इसके लिये पर्याप्त धन-व्यवस्था नहीं की गई। अतः मंत्री को इसे बड़े कुशल ढंग से खर्चना चाहिये ताकि जनता की बकाया मांगें पूरी की जा सकें।

डाक्टरों का महत्व बहुत है, अतः विषमताओं को दूर करने के लिये अखिल भारतीय चिकित्सक सेवाएं बनाई जानी चाहियें।

मलेरिया के उन्मूलन में प्रगति हो रही है। यह भयानक रोग है। इतना प्रयत्न होने के पश्चात् भी मच्छरों का अस्तित्व कायम है। वे डी० डी० टी० से भी नहीं मरते। इसके लिये अन्य उपाय करने होंगे, क्योंकि मलेरिया से फिलेरिया भी हो जाता है।

राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम ठीक ढंग से नहीं चल रहा। पश्चिम बंगाल में इसका बड़ा प्रकोप है। टीके लगे लोगों पर भी इसका प्रभाव हो जाता है। इस कार्यक्रम में कई त्रुटियां हैं। वैक्सीन का पुराना स्टाक समाप्त कर दिया जाये और टीका लगाने से पहले वैक्सीन की अच्छी तरह जांच कर ली जाये तथा टीका लगाने वाला व्यक्ति भी टीका लगाने के मामले में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये।

हैजा एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। पश्चिम बंगाल में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लोगों की मृत्यु भी हुई है। बड़े पैमाने पर टीका लगाने का काम किया जाये। इसका नियंत्रण नहीं किया गया। इसकी वैक्सीन भी जांची जानी चाहिये। सुखाई हुई वैक्सीन अधिक सफल हुई है। अमरीका से एक संयंत्र आने वाला है। हमें उस सरकार से कहना चाहिये कि वे पहले अपना दल भेजें ताकि उसका पूर्ण लाभ उठाया जा सके। हैजा को रोकने के लिये शुद्ध जल सम्भरण की आवश्यकता है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में कलकत्ता में हैजा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का उल्लेख है और हैजा उन्मूलन कार्यकर्ताओं की बैठक का भी उल्लेख है। इस दिशा में क्या व्यवहारिक उपाय किये गये हैं?

कुष्ठ रोग का प्रकोप पश्चिम बंगाल में बंकुरा जिले में बहुत है। इस बीमारी को रोकने की सख्त जरूरत है। परन्तु सरकार इसे काबू में करने के लिये पर्याप्त कार्य नहीं कर रही। अतः मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस विषय में निजी रुचि लें और इस रोग को रोकने के लिये कार्रवाई करें।

सम-चिकित्सा कर्मचारियों के लिये पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहियें और प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई के साथ सम-चिकित्सा कर्मचारी होने चाहियें। बंकुरा में एक नियंत्रक इकाई होनी चाहिये।

कोढ़ी लोगों के बच्चों को उनके माता-पिता से अलग रखा जाये और बाल-गृहों में स्थान दिया जाये। इससे कुष्ठ रोग फैलने से रुकेगा और कोढ़ी लोगों के बच्चे इस रोग से मुक्त हो सकेंगे।

सरकार को पिम्परी कारखाने में बनी पेंनसिलीन की कीमत के बारे में जांच करनी चाहिये। पेनसिलीन की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बीच जो भारी अन्तर है, उसको कम करने की जरूरत है ताकि निर्धन जनता उसका लाभ उठा सके। इस समय कीमतें महंगी होने के कारण वे इसका उपयोग नहीं कर सकते।

देश भर में पुरुषों और स्त्रियों का मुफ्त बन्ध्यीकरण करने की बड़ी भारी आवश्यकता है ताकि जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सके और यह प्रचार किया जाना चाहिये कि पुरुषों का अप्रेशन अधिक सरल होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने और परिवार नियोजन की दृष्टि से इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है।

बांकुरा जिला में रोगों का प्रकोप बहुत अधिक है, अतः वहां चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ चिकित्सा कालेज को केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिये। और वहां छात्रों की संख्या को बढ़ाना चाहिये।

Shri Mohan Swarup (Pitlibheet) : India is a very big country with a vast population. But medical facilities in the Country are very short. In comparison to medicial facilities available in other developed and advanced Countries, we are very backward and we shall require many decades to come to that standard. As such the Govt. should take necessary and concrete steps to enhance the number of hospital doctors and nurses and other medical staff. I would suggest that all India services for health & medicine should be established for the whole of the country on uniform pattern and there should be one policy for health and medical for the whole nation. Veterinary Deptt which is under food & Agriculture need to be brought under the purview of the ministry of health.

There is acute need of health education. So we should give more emphasis on health education and for that purpose we should establish health education centres at Several places. Where there are not such centre, we should open and expand the work.

The standard of nutrition need is very low. People do not get sufficient Calories of food required for them. As such they are pron to diseases. Govt. should pay attention towards this and see that people are provided with sufficiently nutrious and rich food so as to enable them to fight against diseases.

There are numerous Causes of grievences of the hospital employees. But their complaints go unheeded to. Govt. should enquire into those complaints and try to solve them as for as possible. There is an Indian medical Research Institute about which several Complaints of nepotism and corruption have been made, against certain person. Govt. should enquire into the affairs of the Institute and try to root out corruption therefrom. The Institute is an Important one, and should be free from corrupt practices if it has to serve the interests of the Country.

The programme of family planning has been ineffective and not implemented properly so much progress could not be made in the matter of checking increase in population. I would therefore suggest that the ages for marriages of girls should be raised from 13 to 18, and that of boys should be raised to 25. This will certainly go to check rise in population.

Some members have pleaded for pure Ayurved. But in my opinion, we should not give emphasis on pure Ayurved. In fact integrated system of medicine has proved to be more useful for the country.

There is acute shortage of facilities for drinking water. Water is necessary. As such we should make adequate and proper arrangements for drinking water.

The habit of tobacco smoking causes Cancer and other diseases. As such Government should take steps to check smoking among children and boys of young age. Even among elderly and young people smoking should be discouraged.

The Cancer institute is functioning under the Deptt. of Atomic energy. If we have to make the institution more effective, we should bring it under the control of the Ministry of Health. My time being over I conclude my speech.

डा० शि० कु० शाहा (वीरभम) : मैं अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना का स्वागत करता हूं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य मंत्रालय तथा इसके कार्यों और योजनाओं के लिये जो राशि रखी गई है वह बहुत कम है; अत: सरकार को इसे बढ़ाना चाहिये। यह जो राशि इस मंत्रालय को आवंटित की जाये उसका प्रयोग सारे देश में समान रूप से होना चाहिये। यह न हो कि किसी क्षेत्र में अधिक राशि खर्च की जाये और किसी में कम। राशि को बढ़ा दिया जाये और इसके समुचित उपयोग की ओर मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये।

हालांकि क्षय रोग को रोकने के लिये काफी कार्रवाई की गई है, परन्तु फिर भी यह रोग बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि पोषक भोजन लोगों को नहीं मिलता और समाज का वातावरण ही ऐसा है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। अत: सरकार को चाहिये कि वह इस ओर ध्यान दे और कोई ठोस कार्रवाई करे। अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ायी जाये ताकि

रोगी अस्पतालों में भरती हो सकें । सरकार को प्रत्येक जिले में एक-एक चलती एक्स-रे इकाई स्थापित करने की ओर प्रयत्न करना चाहिये ताकि लोगों में इस रोग के प्रभाव को जान कर उनका इलाज किया जाये ।

कोढ़ रोग भी बढ़ता दिखाई देता है । इस रोग को समाप्त करने के लिये कोढ़ी लोगों को अन्य लोगों के सम्पर्क से दूर रहने की व्यवस्था करनी चाहिये और साथ ही उन के निवास पर उनका इलाज करने का प्रबन्ध किया जाये ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के जल की बड़ी कमी है, अतः इस समस्या को हल करने के लिये तुरन्त कार्रवाई करने की जरूरत है । प्रति वर्ष २०–३० लाख लोगों को दूषित पानी पीने के कारण बीमारी हो जाती है और परिणामतः उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है । सरकार को इस उद्देश्य के लिये अधिक राशि की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि प्रत्येक गांव में पीने के जल की समुचित व्यवस्था की जा सके ।

देश की डाक्टरों की कमी और विषमता को दूर करने के निमित्त यह जरूरी है कि मंत्रालय डाक्टरों की सेवा की शर्तों और वेतन-मान आदि सुधारने के लिये ठोस कार्रवाई और यह प्रयत्न करे कि डाक्टरी लोग स्वेच्छा से गांवों में सेवा करना चाहें ।

Shrimati Kamla Chaudhri (Hapur) : I support the demands for grants relating to the Ministry of Health. I congratulate the Minister for declaring Safdarjung and Willingdon Hospital as teaching institutions. The Ministry has done wounder full work for the health of citizens.

Medical Colleges have been opened in quite a good number. The Government should therefore pay their attention to start post Graduate medical institutions in the Country, where our doctors may conduct research and obtain higher education for which they have at present to go to foreign Countries which involves foreign exchange, of which we face shortage.

Pay scales of medical colleges are low. Their grades should be enhanced and conditions of services should be improved so as to attract more qualified people in the profession.

It is seen that highly qualified and capable doctors prefer to their own practice than joining Service. The reason for this is that they are not paid good remuneration. Govt. should look into it, and take concrete steps to improve the situation. The Ministry of Health should provide more money for this.

Medical & Health facilities in rural areas are not sufficient. Hence the Ministry should pay more attention towards it and take some concrete steps to provide adequate strength of staff and more medicines in the hospitals. The Govt. should also ensure that facilities for health education may be provided. They should try to inculcate spirit of service among doctors and should inspire them to work in villages.

So far as the problem of drinking water in concerned, this should be under the Ministry of Health and the Ministry should devote her time to solve this problem. Nutritions diet should be available to people and there should be healthy atmosphere.

In the end I appreciate the work and the spirit of service of health Minister and request that she should be made a member of the cabinet.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): The problem of drinking water in villages in very big. Govt. should devote their attention to this necessity urgently. There are villages where drinking water is available, water from ponds and tanks is utilised for drinking. There wells should be sunk and Govt. should give liberal grants for that and other construction work. For want of adequate money such works remain incomplete so Govt. should ensure that proper money is given for these works.

It is gratifying that we have achieved sufficient success in eradicating malaria and smallpox. But the money allotted for this programme has not been fully or properly utilised. Some money is wasted on motor vans etc. useless items. We should therefore check it and see that money allotted is properly spent without allowing even a single penny to go waste.

The attitude of the Government towards Homeopathic, Unani and Ayurvedic Systems of medicines is that of indifference. That is not good. As a matter of fact our vast majority of people believe in these systems and depend on them, because these are cheap and easily available. The Allopathic treatment is expensive. The Government should therefore encourage Indian system of medicines so that people may benefit from them. Government should also see that the herbs and shrubs available in the country are properly utilised.

Government should make arrangements for raising the standard of health of school going children. Civil Surgeon or district Health officers should be made responsible for them. Those officers should be asked to visit and inspect children of schools in respect of their health, give instructions regarding maintaining health. The ministry should pay attention towards this seriously.

श्री अ० त्रि० शर्मा (छतरपुर) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। मन्त्रालय ने बड़ी सफलता के साथ काम किया है। मैं देशी चिकित्सा प्रणाली के विकास के सम्बन्ध में कहूंगा।

इस समय शुद्ध आयुर्वेद की पढ़ाई न करवा के मिला-जुला पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इस से छात्रों को न तो आयुर्वेद का ही पूर्ण ज्ञान हो सकता है और न ही एलोपैथी का। यह स्थिति अच्छी नहीं है। जो लोग आयुर्वेदिक वैद्य के रूप में पंजीबद्ध होते हैं वे एलोपैथी की औषधियों को प्रयोग में लाते हैं और एलोपैथी के डाक्टर आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं। इससे विशेष लाभ नहीं होता। सरकार को इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये। चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद तथा ऐलोपैथी की पृथक पृथक होनी चाहिये और इनके पाठ्यक्रम भी अलग अलग होने चाहियें। समेकित पाठ्यक्रम को हटाना चाहिये।

सरकार समेकित पाठ्यक्रम वाले चिकित्सकों के प्रभाव में काम कर रही प्रतीत होती है। इसीलिये वह पृथक पृथक पाठ्यक्रम नहीं बनाती। जब तक सरकार इन के प्रभाव के अन्दर रहेगी, आयुर्वेद का विकास होना सम्भव नहीं है। अतः सरकार को इस के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना चाहिये और आयुर्वेद के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये। मंत्रालय आयुर्वेद के विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहा। अतः उसे अपना रवैया बदलना चाहिये।

अनुसंधान विभाग ने एक पत्र 'क्षय रोग' निकाला है। यह पत्र आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सर्वथा बकार है क्योंकि इसमें जो बातें दी गई हैं वे आयुर्वेद के सिद्धान्तों से मेल नहीं खातीं। उदाहरणार्थ क्षय रोग के चार कारण होते हैं, परन्तु इस पत्र में तेरह कारण बताये हैं। ये तेरह कारण क्षय रोग के नहीं, बल्कि किसी दूसरे रोग के होते हैं।

आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों की अपनी अलग अलग चिकित्सा प्रणालियां हैं । अतः इस प्रकार के प्रकाशनों को बन्द करना चाहिए । यह किसी व्यक्ति के जीवन का प्रश्न है, चिकित्सा में जरा सी चूक होने पर रोगी की मृत्यु हो सकती है ।

सरकार आयुर्वेदिक प्रणाली को प्रोत्साहन देने की बात करती है किन्तु व्यावहारिक रूप में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है । मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की दिशा में ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए ।

आयुर्वेद के नाम पर जनता के धन का अपव्यय हो रहा है । सरकार को इस बात को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिएं । उदाहरणार्थ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को एम० डी० पाठ्यक्रम चालू करने के लिए ३ लाख रुपये दिये गये हैं, जब कि विश्वविद्यालय ने अपना आयुर्वेद विभाग बन्द कर दिया है और उसे आयुर्वेद में किसी प्रकार की रुचि नहीं रह गयी । सरकार द्वारा यह राशि देने में न तो आयुर्वेद बोर्ड से और न ही योजना आयोग से सलाह ली गई थी । यदि यह पाठ्यक्रम चालू ही किया जाना था, तो यह किसी दूसरी शिक्षा संस्था द्वारा चालू किया जा सकता था ।

काउंसिल आफ स्टेट बोर्ड्स आफ आयुर्वेद किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य नहीं करता है, फिर भी सरकार इस संस्था को ५,००० रुपये देती है । आज आपातकाल के समय एक ओर तो हमें देश की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मितव्ययता करके धन बचाने की चिन्ता है और दूसरी ओर धन इस प्रकार अपव्यय हो रहा है ।

सरकार को भारतीय भेषज परिषद् जैसी एक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति परिषद् बनानी चाहिए । यह संस्था बहुत लाभदायक संस्था होगी । अपव्यय रोकने और व्यय पर नियंत्रण करने के लिए योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, प्राक्कलन समिति, लोक सभा और स्वास्थ्य विभाग से एक-एक प्रतिनिधि लेकर एक समिति बनाई जानी चाहिए ।

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : I want to congratulate the hon. Minister for the usefull work she has done in the Health Ministry.

The women folk in urban areas have been given so many facilities but in the rural areas they have been ignored. I have found women in greater number, comparatively, in the Hyderabad and other hospitals. Also, I found that there was shortage of both doctors and nurses. There are so many reasons of it. The main reason is that articles of food are not available in villages at cheaper prices. They are often adulterated. I suggest that more hospitals should bs constructed and the number of beds should be increased. Doctors and nurses should be provided in adequate number. My most important suggestion is that there should be some check on the outflow of articles of food such as milk, eggs etc., from the rural areas, through Panchayats or through some other means. Most of the villagers are not in a position to consume such articles. They are poor and therefore they sell them in the urban areas. If some kind of subsidy or financial help is given to the villagers for this purpose then only this outflow can be checked. This is one of the major factors why health in the rural areas is deteriorating.

Drinking water also is not available in rural areas. There were princely States in Madhya Pradesh. Rajasthan, Hyderabad, Bhopal and other area, so the interests of the villagers were neglected there from the very beginning.

People have to go too far off places to fetch water. In this connection-I have to propose that instead of making provision in the Plan, financial assistance should be given direct to the states.

This Ministry has done remarkable work in respect of eradication of Malaria, Cholera and other such diseases. But I feel that prevention is better than cure. As is being done is urban areas, women can go to the women in rural areas and advise them regarding methods to check and prevent the recurrence of such diseases. Women of voluntary organisations can also perform this duty. I have also to propose that arrangements should be made to treat the patients suffering from minor troubles at their respective places, because there is always a great rush in hospitals and poor people are the least cared for there.

There is also shortage of lady doctors for family planning. Success of such prrogrammes depends upon the number of lady doctors. Moreover, proper attention has not been given to effect family planning in the rural areas.

All kinds of facilities, from drinking water to clean latrines should be provided for the rural areas. With these words, I support the Demands.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सरकार की देश में चिकित्सा सम्बन्धी नीति मूल रूप से गलत रही है । इस समय देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का बहुत अभाव है । सदस्यों के, सभा में, तथा बाहर भी, बार बार मांग करने पर भी मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सा कर्मचारियों की व्यवस्था करने में असमर्थ रहा है । इस बात का कुछ आभास नहीं मिलता है कि भारत सरकार इस मांग को किस प्रकार पूरा करना चाहती है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन के अनुसार इस समय ६,००० जनसंख्या के लिए १ डाक्टर है । सरकार को डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिये नये मेडीकल कालेज खोलने चाहियें । मेडीकल कालेजों के लिये अधिक संख्या में अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिए । सरकार द्वारा यह कहना कि अध्यापकों की कमी के कारण मेडीकल कालेज नहीं खोले जा सकते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना है ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन देखने से पता चलता है कि नये कालेज तो खोले जा रहे हैं किन्तु उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में राजनैतिक दबाव से खोला जा रहा है जबकि होना यह चाहिए था कि इन्हें क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार खोला जाना चाहिये । राज्य सरकारों को अपने राज्यों में मेडीकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श लेना चाहिये जिस से कालेज राजनैतिक दबाव से नहीं अपितु क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुए खोले जा सकें ।

यह खेद की बात है कि कभी कभी सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में गलत जानकारी दी जाती है । मंत्री महोदय को प्रश्नों के उत्तर देने में सावधानी से काम लेना चाहिये क्योंकि यह सारे राष्ट्र के स्वास्थ्य का प्रश्न है ।

आशा है मंत्री महोदय नये मेडीकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में उदारता से काम लेंगे क्योंकि वर्तमान मेडिकल कालेजों के विस्तार करने से इन कालेजों पर अधिक भार पड़ जायेगा किन्तु देश की आवश्यकता फिर भी पूरी नहीं हो सकती है । उन्हें चिकित्सा कर्मचारियों की कमियों को पूरा करने

और तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में नये कालेज खोलने के बारे में सभा को स्पष्ट सूचना देनी चाहिये ।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा): स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार मंत्रालय का कार्य बहुत सराहनीय रहा है जिसके लिए मंत्रालय बधाई का पात्र है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या अत्यन्त गंभीर है। गरमियों के दिनों में इन क्षेत्रों में लोग पानी के लिए तड़पते रहते हैं। गांवों में पानी पहुंचाने के कार्य को युद्धकालीन स्तर पर पूरा किया जाना चाहिये। इस समस्या को हल करने के लिए सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी के संभरण के लिए केवल एक ही मंत्रालय द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिये। जल अभाव-ग्रस्त घोषित किये गये क्षेत्रों के मामलों पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिये। लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिये और राज्य सरकारों को इसी प्रकार के कार्यक्रम लागू करने को कहा जाये। यदि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरों का कोई चलता फिरता दल बनाया जाये जो जल अभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करे, तो उससे बहुत लाभ होगा। राज्यों में जल अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए ग्रामीण जल संभरण बोर्ड स्थापित किए जाने चाहियें ।

स्वास्थ्य मंत्रालय को सारे राज्यों से कहना चाहिए कि वे अपने राज्य में जल अभावग्रस्त क्षेत्रों को अधिसूचित करें जिससे केन्द्रीय सरकार प्राथमिकता निर्धारित कर सके ।

ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालयों का बहुत अभाव है। जो थोड़े औषधालय हैं भी उन की दशा दयनीय है। एक औषधालय को जो ५,००० से लेकर १०,००० जनसंख्या के लिए होता है, केवल ३०० रुपये अथवा ४०० रुपये दिये जाते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इन औषधालयों को पर्याप्त धन देना चाहिये। सरकार धन की कमी को देखते हुए प्रति नुस्खा ५ नये पैसे ले सकती है, जिसे हर व्यक्ति आसानी से दे सकता है ।

यह खुशी की बात है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों की स्थिति बहुत अच्छी है। सरकार को इस योजना को और अधिक सफल बनाने के लिये औषधालयों में अधिक मात्रा में औषधि की व्यवस्था करनी चाहिये तथा इनका विस्तार करना चाहिये ।

यह सराहनीय है कि पोषक आहार कार्यक्रम तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसे सफल बनाने के लिये और धन की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

चेचक निवारण कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इसे और प्रभावी बनाने के हेतु इसमें सामाजिक तथा स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये ।

डाक्टर लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का वह कहना गलत है कि देश में पर्याप्त संख्या में मेडीकल कालेज नहीं खोले जा रहे हैं। सरकार को नये कालेज खोलने के साथ साथ भारत में उच्च मेडीकल अध्ययन की व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि अब भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को विदेशों में जाना पड़ता है ।

सरकार को एलोपैथी के साथ साथ होमियोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की ओर भी ध्यान देना चाहिये। होमियोपैथी के साथ घोर अन्याय किया गया है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उसके लिए आयव्ययक में निर्धारित राशि घटा कर ३ लाख रुपये कर दी गई है। होमियो-

[श्रीमती सावित्री निगम]

पैथी के बहुत कम अस्पताल खोले गये हैं। सरकार को आयुर्वेद में अनुसंधान करने के लिए कम से कम सात या आठ प्रादेशिक प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहियें। आयुर्वेद और होमियोपैथी को उचित स्थान दिया जाना चाहिये।

Shri B.N. Mandal (Saharsa) : 45 lakh persons die every year in our country which is double the number as compared to the European countries. These deaths occur either untimely or due to famine conditions, and we have failed to tackle this situation. Economic plight of the country is the main reason for this. Most of the people who die are Harijans, aboriginals or other poorer ones. The only remedy by which such deaths can be checked is that the nutritional standard of those people should be raised. Once, when famine conditions were prevalent in my own constituency I had a chance to go there and I myself found that people had nothing at all to eat.

Then I will say some thing about giving encouragement to Homoeopathic, Ayurvedic and Unani systems of medicine. The Alopathic system is much costlier comparatively. The Government have not done any thing so far by which it could be seen that it is serious about popularising the Homoeopathic system, about developing this system. There was a scheme of unified medical treatment by which it was proposed to bring in all the good points in the said three systems. But the big doctors and others who have their vested interests will never allow the poor people to avail of the cheaper medicines and comparatively cheaper treatment.

The targets of the primary health centres, which were to be set up in the country have not been achieved fully. There is no benefit reaching the poor people due to the policy of this administration.

Thefts of medicines and other malpractices are found in the T.B. Hospital at Mehrauli near Delhi but it is most surprising that the Gorvernment do not take due notice of them.

डा० रानेन सेन (कलकत्ता मध्य): मंत्रालय के प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य के मामले में केन्द्र तथा राज्यों में समन्वय का अभाव रहा है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हावड़ा और कलकत्ता जैसे बड़े नगरों को हैजे तथा जल से फैलने वाली अन्य महामारियों से अभी तक मुक्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार की महामारियां राष्ट्रीय समस्यायें हैं। इसलिए इन को राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के लिये केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को ही मिल कर कदम उठाने चाहियें।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक राज्य ने, चिकित्सा के लिए आवंटित राशि का दूसरे कामों में उपयोग कर दिया था। इस प्रकार धन का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिये। दिल्ली के साथ साथ अन्य स्थानों में भी पर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहियें।

औद्योगिक क्षेत्रों में जल को दूषित करने की समस्या बड़ी गंभीर है। इस से स्वास्थ्य पर बहुत बरा प्रभाव पड़ता है। सरकार को इस ओर उचित कदम उठाने चाहियें। इन क्षेत्रों में मलप्रवाह प्रणाली अच्छी होनी चाहिये।

कलकत्ता के 'ट्रापीकल' औषधि विद्यालय ने शिकायत की है कि इस विद्यालय के तीन अध्यापकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वेतन दिया जाता था जो अब बन्द कर दिया गया है। सरकार को इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल करनी चाहिये।

मद्रास और कलकत्ता में चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसलिए बम्बई की तरह इन शहरों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य योजना शीघ्र लागू की जानी चाहिये।

कलकत्ता महानगर योजना संगठन का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। विदेशी मुद्रा का अपव्यय हो रहा है। इस संबंध में केवल कुछ रिपोर्ट प्रकाशित की गई है किन्तु जलसंभरण नालियों, मलप्रवाह नालियों परिवहन तथा अन्य मामलों के बारे में कुछ भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। मंत्रालय को इन मामलों की जांच करके उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : मंत्रालय को यह बताना चाहिये कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वारंगल के मेडीकल कालेज के जिसमें लगभग ६०० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं, शीघ्र बन्द होने की संभावना है तथा बिना किसी सूचना दिये हुए इसको दिये जाने वाले ५ लाख रुपये के तदर्थ अनुदान को बन्द किया जा रहा है। यह कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्ध किया जाना चाहिये।

Shri Balmiki (Khurja) : The Harijan and other students of backward classes are not given admissions to medical colleges in adequate number. I therefore want to know the steps already taken or that are likely to be taken in this regard.

The fourth class employees of the hospitals, especially of the municipalities, are subjected to persecutions. One Shri Same Singh Balmiki is on a hunger strike in front of the Willingdon Hospital. I request the hon. Minister and the authorities of the Willingdon Hospital to look into the grievances of the employees there, and to solve their difficulties.

Some employees of the Jan path Hotel and also of some other hostels are being retrenched. I hope that such employees shall be absorbed in the hospital which is going to be set up in the name of Shri Pant Ji.

The Government should give more attention to the health problem and Ayurvedic system of medicine.

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा (कचार): आसाम सरकार के इस आश्वासन के बावजूद भी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिल्चर में एक मेडीकल कालेज खोला जायेगा, आज तीसरी पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष तक यह नहीं खोला गया है। मंत्री महोदय को कालेज खोलने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

{ **श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए
SHRI KHADILEKAR *in the Chair* }

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): यह खेद की बात है कि अस्पताल के कर्मचारी छोटी छोटी बातों पर, जैसाकि उन्होंने दिल्ली में विलिंगडन अस्पताल के मामले में किया है, हड़ताल करते हैं। माननीय सदस्य को, सभा में उन की पैरवी करने के बजाय, उन्हें हड़ताल न करने के लिए समझाना चाहिये।

[डा० सुशीला नायर]

माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि अनसूचित जाति तथा अनसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मेडीकल कालेजों में दाखला देने के सम्बन्ध में उपेक्षा की जाती है। माननीय सदस्य को यह बात अच्छी तरह मालूम होगी कि मेडीकल कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक निश्चित अनुमात में स्थान रक्षित किये गये हैं लेकिन ऐसे छात्रों को एक निर्धारित स्तर पूरा करना होता है अर्थात् कम से कम ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त करने पड़ते हैं।

यह दुःख की बात है कि अस्पतालों में कुछ श्रेणियों के कर्मचारी रोगियों से सेवाओं के बदले कुछ धन चाहते हैं। अस्पताल के छोटे से लेकर बड़े, सभी कर्मचारियों को एक पेशे की भावना से काम करना चाहिए जिससे वे सेवा भाव से काम कर सकें। अस्पताल कर्मचारियों के कार्मिक सघों को इस बात का भरसक प्रयत्न करना चाहिये कि अस्पताल में अनुशासन बना रहे। अस्पतालों में रोगियों को चिकित्सा के साथ साथ सहानभूति की भी अत्यन्त आवश्यकता होती है इसलिए वहां पर अनुशासन की बहुत आवश्यकता है।

मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार सिल्चर में मेडीकल कालेज का कार्य कुछ समय पहले चालू किया गया है। इसके भवन निर्माण आदि की प्रगति की वर्तमान स्थिति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

माननीय श्री यशपाल सिंह ने जो यह कहा कि पानी के अभाव में उन्हें नहाने के लिए टैक्सी ले कर स्टेशन जाना पड़ता है, मैं उसे ठीक नहीं मानती।

श्री गौरी शंकर कक्कड़: क्या माननीय मंत्री के लिए इस प्रकार की टिप्पण करना उचित है ?

सभापति महोदय : मैं पहले कह चुका कि माननीय मत्री ऐसी बात न कहें और इसके अतिरिक्त अन्य बातों का उत्तर दें।

डा० सुशीला नायर : कलकत्ता मेट्रोपोलिटन प्लानिंग आर्गनिजेशन बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। उसे नगर के लिए योजनायें बनानी ही चाहिएं क्योंकि बिना ऐसी योजनाओं के किसी प्रकार का युक्तिसंगत नगर आयोजन संभव नहीं हो सकता है। आजकल लोगों में गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर जाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है जिससे शहरों में जनसंख्या सघन होती जा रही है और हमारे शहरों का बेढंगा विकास एक समस्या बन गया है। इस समस्या को हल करने के लिए शहरों के आयोजित ढंग से विकास करके ही हल किया जा सकता है जिससे नगर सेवायें आश्यकताओं को पूरा करने में कम न हों जैसा कि दिल्ली नगर के सम्बन्ध में हुआ है। केन्द्र सरकार देश में अनेक नगरों के विकास के लिए वृहत योजनायें तैयार करने के लिए सहायता के रूप में सारा वित्तीय भार वहन कर रही है। इस समय देश के ७४ मुख्य नगरों और कस्बों का आयोजन किया जा रहा है।

कलकत्ता मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिये योजना को अन्तिम रूप देकर जून के महीने तक प्रकाशित किया जायेगा। इस योजना के अतिरिक्त कलकत्ता में और भी अनेक परियोजनायें आरम्भ की गई हैं। उन सब को केवल कलकत्ता मेट्रोपोलिटन प्लानिंग आर्गनाइजेशन द्वारा ही क्रियान्वित नहीं किया जायेगा। इस कार्य में कई संस्थायें सहायता कर रही हैं।

वृहत योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामस्वरूप बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आयोजित ढंग से नगरों का विकास करना है। नगरों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास किया जाना चाहिए। गांवों और शहरों के बीच अच्छा सम्बन्ध होना चाहिए जिससे शहरवासी ग्रामवासियों का शोषण न कर सकें।

दो वर्ष पहले योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे ५०,००० से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वृहत योजनायें तैयार करें। केन्द्रीय ग्रामीण तथा नगर योजना संगठन ने मेरठ, आगरा और जयपुर में प्रादेशिक योजनायें चालू की हैं।

इन मास्टर प्लानों के बारे में एक कमी यह थी कि हालांकि इन्हें तैयार करने के लिए शत प्रतिशत सहायता दी गई थी किन्तु इनकी कार्यान्विति के लिये तीसरी योजना में धन नहीं रखा गया था।

हालांकि नगर प्रशासन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है फिर भी कुछ वर्ष पहले सेन्ट्रल कौंसिल आफ लोकल सेल्फ गवनमेंट बनाई गई थी और वह प्रति वर्ष स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित करके देश में स्थानीय स्वशासन के कामकाज को विनियमित करती है और उसमें समन्वय स्थापित करती है। इन सम्मेलनों में यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि स्थानीय स्वशासन पर नियंत्रण रखने के लिये एक समान कानून होना चाहिये। पंचायतों तथा जिला बोर्डों के लिये एक कानून बनाया गया था जिसे कई राज्यों ने अपना लिया है। उसी प्रकार के आदर्श कानून नगरपालिकाओं और नगर तथा ग्राम आयोजन के लिये तैयार किये गये थे और राज्य सरकारों को भेजे गये थे जिनमें से कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में ऐसे कानून लागू कर दिये हैं। नगर निगमों के लिये अभी तक कोई विधान तैयार नहीं किया गया है परन्तु एक रूरल-अर्बन रिलेशनशिप कमेटी बनाई गई है जिसको नगरनिगमों और अर्बन लोकल बाडीज के ढांचे तथा कृत्यों के निर्धारण का प्रश्न भी सौंपा गया है।

जोधपुर में मेडिकल कालेज खालने के लिये राजस्थान सरकार से कोई औपचारिक प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान राज्य की योजना में कालेजों के लिये कोई उपबन्ध नहीं है अतः केन्द्रीय सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। राज्य सरकार राज्य की योजनाओं में निर्धारित राशि से ही कालेज खोल सकती है। मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार सहायता देती है। उस राज्य को सहायता का पूरा कोटा दे दिया गया है और अपनी समूची योजना को ध्यान में रखते हुए वह जिस तरह चाहे उसका उपयोग कर सकता है।

राज्यों द्वारा भेजी गई ग्रामीण जल संभरण योजनाओं को मंजूरी देने में केन्द्र द्वारा कोई देरी नहीं की जाती। यहां तक कि इन योजनाओं को अविलम्ब तैयार करने में राज्यों की सहायता करने के लिये हम केन्द्र से अधिकारी भेजने का विचार कर रहे हैं क्योंकि योजनाओं में कभी कभी पूरी जानकारी नहीं दी जाती है इसके कारण उन्हें वापिस भेजना पड़ता है। केन्द्र द्वारा इन योजनाओं के लिये थोड़ी धन राशि दी जाती है और राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की जाती है कि कम से कम उतनी धन राशि के लिये तो वे अपनी योजनायें बनायें। हम उनको ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते।

मेडिकल शिक्षा की सुविधायें तीसरी योजना के लक्ष्य से अधिक बढ़ायी गयी हैं। देश में ७९ कालेज हैं और गत वर्ष १०,०९० छात्रों को दाखिला दिया गया था जब कि लक्ष्य ७५ कालेजों

[डा० सुशीला नायर]

और ८,००० व्यक्तियों को प्रवेश दिलाने का था। स्नातकोत्तर शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और दिल्ली, कलकत्ता तथा चंडीगढ़ में तीन संस्थायें पहले से ही काम कर रही हैं। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये ८०० छात्रवृत्तियां उपलब्ध की गई हैं। देश में लगभग ३५०० स्नातकोत्तर इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिनमें से लगभग १७०० छात्र रजिस्ट्रार, हाउस सर्जन आदि के रूप में वेतन प्राप्त कर रहे हैं या उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी गई है। इन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का विचार है। हैदराबाद में एक स्नातकोत्तर संस्था खोलने के लिये बातचीत चल रही है। यदि धन उपलब्ध हो सका तो बम्बई तथा मद्रास में भी स्नातकोत्तर संस्थायें स्थापित कर दी जायेंगी क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हमारे छात्रों को प्रशिक्षण के लिये बाहर जाना पड़े।

इस समय लगभग २,००० शिक्षकों की कमी है और वह अधिकतर प्री-क्लिनीकल विषयों के बारे में है। इस कमी को दूर करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रयत्न करेंगे कि चौथी योजना में जिला अस्पतालों में न्यूनतम संख्या में विशेषज्ञ हों। इस उद्देश्य के लिये कम से कम १७,००० विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। इसलिये अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। डाक्टरों को अधिक वेतन दिलाने के बारे में वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से विचार विमर्श किया जायेगा।

वारंगल मेडिकल कालेज उन पांच अथवा छः कालेजों में से एक है जो गैर-सरकारी समितियों द्वारा चलाये जाते हैं और जो दाखिले के समय प्रत्येक छात्र से ३,००० या ५,००० रुपये केपिटेशन फीस लेते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों से ट्यूशन फीस के रूप में १,०००–२,००० रुपये प्रति वर्ष लिये जाते हैं। इस सभा में तथा राज्य सभा में ऐसे कालेजों को सहायता देने की सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की गई है। हमने इनको कुछ सहायता अवश्य दी है परन्तु यह नियमित रूप से नहीं दी गई है। इस वर्ष इन कालेजों को कोई सहायता नहीं दी गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है कि इन गैर-सरकारी कालेजों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए और इन वर्तमान गैर-सरकारी कालेजों का किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिये।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* }

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परषद् ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित ट्रापिकल स्कूल आफ मेडिसिन को प्रारम्भ में तीन प्राध्यापकों की सेवाएं प्रदान की थीं और वह उनका वेतन भी दे रही थी। परन्तु उनका वेतन देना परिषद् की जिम्मेदारी नहीं है और परिषद ने कई बार बंगाल सरकार से यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेने के लिये कहा है। सरकार निर्धारित प्रणाली के अनुसार इन प्राध्यापकों का वेतन देने में असमर्थ है। हां, यदि राज्य सरकार इस संस्था को केन्द्र को सौंपना चाहती है तो हम इसे लेने के लिए तैयार हैं।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : क्या सरकार उस कालेज को अपने हाथ में लेगी ? जब उसको ये दोनों अनुदान दिये गये भारत सरकार को अच्छी तरह पता था कि वह कालेज कैपिटेशन फीस लेता है और एक गैर-सरकारी संस्था है।

डा० सुशीला नायर : हम गैर-सरकारी तौर पर चलाये जाने वाले तथा कैपिटेशन फीस लेने वाले मेडिकल कालेजों के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसे कालेजों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं और उपरोक्त समिति इस समूचे प्रश्न की जांच करेगी ।

गन्दी बस्तियां हटाने की जिम्मेदारी आवास मंत्रालय की है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि एक विशेष इलाके के २०–३० प्रतिशत भंगी चर्म रोग से पीड़ित हैं। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी दिये जाने पर इस मामले में उचित कार्यवाही की जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये गृह-कार्य मंत्रालय ने दो प्रकार की योजनायें बनाई हैं उनमें से कुछ योजनाओं की कार्यान्विति की जिम्मेदारी केन्द्र पर है और अधिकांश योजनाओं की कार्यान्विति के लिये राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन योजनाओं से इन जातियों के लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है।

आयुर्वेद के उच्च कोटि के विशेषज्ञों की सलाह से आयुर्वेद के विकास पर कई करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। आयुर्वेद सलाहकार के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगाना उचित नहीं है। वह एक बहुत ही योग्य तथा ईमानदार व्यक्ति है और वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर नियुक्त किया गया है। देश के चुने हुए आयुर्वेद विशेषज्ञों की सलाह से 'शुद्ध' आयुर्वेद के विकास के बारे में निर्णय किया गया था जो योजना आयोग द्वारा आमंत्रित किये गये थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संकल्प में उस बैठक की कार्यवाही के अतिरिक्त और किसी बात का उल्लेख नहीं है। श्री अ० त्रि० शर्मा समझते हैं कि केवल वे ही आयुर्वेद के बारे में जानते हैं और अन्य किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि इस प्रणाली का देश के लगभग सभी आयुर्वेद शास्त्रियों ने स्वागत किया है जिनका आयुर्वेद में पूर्ण विश्वास है। अत: मैं यह सुझाव स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि आयुर्वेद स्नातकों के लिये एलोपैथी का संक्षिप्त पाठ्यक्रम अनिवार्य बना दिया जाये और एलोपथी के स्नातकों के लिये आयुर्वेद का संक्षिप्त पाठ्यक्रम अनिवार्य बना दिया जाये। ऐसा करना सम्भव नहीं है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद कालेज बन्द कर दिया है। लखनऊ तथा मद्रास में भी ऐसा ही किया गया है क्योंकि विद्यार्थी एम०बी०बी०एस० की ही उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को आयुर्वेद के बारे में गवेषणा कार्य करने के लिये एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने में सहायता दी गई है। यह संस्था अच्छा कार्य कर रही है।

राज्य सरकारों ने आयुवद चिकित्सकों को एलोपैथिकचिकित्सकों के बराबर वेतन देने का सुझाव मंजूर नहीं किया है। अत: श्री यशपाल सिंह का सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आयुर्वेद के लिये प्रयोगशालायें खोलने का कोई लाभ नहीं है। आयुर्वेदिक औषधियों का अध्ययन करने के लिये १० 'सर्किल' खोल दिये गये हैं। जहां तक जामनगर संस्था का प्रश्न है उसे अपने ढंग से आयुर्वेद का विकास करने की पूरी स्वतंत्रता है। सारे देश में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोलना हमारा काम नहीं है। यह राज्य सरकारों का काम है और वे इन्हें खोल रही हैं केन्द्र की ओर से गोल मार्केट में एक आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी खोली गई है। इसमें अधिक भीड़ नहीं रहती है फिर भी एक और डिस्पेंसरी खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अब मैं देश में प्रचलित छूत की बीमारियों की ओर आती हूं। एक माननीय सदस्य ने इस बारे में कल एक प्रश्न पूछा था। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में १९४६ से लेकर १९५५ तक

[डा० सुशीला नायर]

देश भर में काफी काम किया गया है । मलेरिया उन्मूलन के लिए भी काफी कुछ किया गया है । इन कार्यों का बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है । ९ करोड़ लोगों के लिए इस समय ८० "यूनिट" काम कर रहे हैं । और यह वह क्षेत्र हैं जिनमें मलेरिया उन्मूलन कार्य समाप्त किया जा चुका है । अब वहां की सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को अब यह काम सम्भाल लेना चाहिये । ताकि यहां पर पुनः मलेरिया न फैल जाये । प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के नेताओं को इस ओर बड़ी जागरूकता से ध्यान देना चाहिए । यदि कोई भी मामला उनकी नज़र में आ जाये तो तुरन्त खून का परीक्षण करके मलेरिया विरोधी चिकित्सा कराई जानी चाहिए । इस बारे में सफलता प्राप्त करने के लिए हम ने प्रत्येक क्षेत्र में जहां की १० हज़ार की आबादी है अथवा दो हज़ार परिवार रहते हैं, दो कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गयी है । यह दो कायकर्ताओं में एक कार्यकर्तृ । यह घर जा जा कर लोगों को समुचित परामर्श देंग ।

मैं उन सुझावों को हार्दिक रूप में स्वीकार करती हूं जो कि श्री रामेश्वरानन्द ने दिये हैं । उनका कहना है कि आत्मनियंत्रण तथा ब्रह्मचर्य का पालन किया जाय । इस बारे में मेरा निवेदन है ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण चाहे कितना ही अभीष्ट हो लेकिन वे जबरदस्ती लागू नहीं किये जा सकते । फिर भी परिवार नियोजन केन्द्रों ने अच्छा काम किया है । सरकार ने यह देखने की कोशिश की है कि परिवारों में जाकर लोगों से मिलने और उन्हें अपने परिवार का नियोजन करने की शिक्षा देने के लिए कायकर्ता नियुक्त किये जायें । कुल लगभग दस लाख व्यक्तियों ने बन्ध्यीकरण आपरेशन कराये हैं । इसका अर्थ है कि इस योजना से लगभग २० लाख व्यक्तियों को लाभ हुआ है। सरकार यह सुझाव नहीं मान सकती कि बन्ध्यीकरण आपरेशन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को १०० रुपया दिया जाय ।

मेरा निवेदन यह है कि बन्ध्यीकरण के लिए सरकार द्वारा धन की सहायता देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा । लोगों को अपनी इच्छा से आपरेशन कराना चाहिये देहातों में भी परिवार नियोजन के बारे में हम परामर्श देने तथा बन्ध्यीकरण की व्यवस्था कर चुके हैं । मैं इस बारे में यह भी बताना चाहती हूं कि पहले बन्ध्यीकरण केवल औरतों का ही किया जाता रहा है परन्तु अब पुरुष भी इस कार्य के लिए आगे आ रहे हैं । पुरुषों की संख्या दो-तिहाई हो गयी है । इस कार्यक्रम का मुसलमानों और ईसाइयों ने विरोध भी किया है ।

हैजे के बारे में भी काफी चिन्ता प्रकट की गयी है । मैं भी इस चिन्ता में माननीय सदस्यों के साथ सम्मिलित हूं । हम ने इस बारे में काफी जागरूकता से कार्य हाथ में लिया है । गत वर्ष कलकत्ता, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र इत्यादि आठ राज्यों में हैजे के मामले हुए हैं । इन आठ राज्यों में ५३ जिलों में विशेष रूप से हैजा फैला है । हमने इस बारे में सम्बद्ध राज्यों के स्वास्थ्य निदेशकों का सम्मेलन बुलाकर इसके लिए समुचित निर्णय किये हैं । केन्द्र की ओर से इसके लिए एक एकक स्थापित किया जा रहा है । मामलों का तुरन्त परीक्षण करने की भी व्यवस्था की गयी है और यह भी प्रबन्ध किया गया है कि जहां से हैजे की रिपोर्ट मिले वहां यह रोग और अधिक न फैलने पाये । इस मामले में काफी सावधानी से कार्य किया जा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संस्था का भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है । हमने कुछ विशेषज्ञों की सहायता से ऐसा इलाज खोज निकाला है कि शायद ही कोई व्यक्ति इस बीमारी से मरे । कलकत्ता के संक्रामक रोगों के अस्पताल में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस रोग से मरा होगा । हैजे की रोकथाम करने के लिए १० विज्ञान केन्द्र भी खोले जा रहे हैं । हैजे सम्बन्धी वक्सीन के प्रभाव की जांच करने के लिए भी

काम किया जा रहा है । लेकिन इस कारण कि हैजे का स्वच्छता और पीने के पानी से गहरा सम्बन्ध है और यदि उनकी ठीक व्यवस्था हो गयी होती तो हम ने इस रोग पर काफी अच्छे प्रकार से इस पर नियंत्रण कर लिया होता ।

कुछ माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य शिक्षा देने पर जोर दिया है। मैं इस बारे में इस समय विस्तार में जाने में असमर्थ हूं । परन्तु इतना ही कहना चाहती हुं कि हम इस बारे में जो कुछ सम्भव है कर रहे हैं हमने इस कार्य के लिए पाठ्य पुस्तकें भी तैयर की है ताकि इससे अध्यापकों को समय समय पर पथप्रदर्शन हो सके । प्रारम्भिक स्कूलों में भी स्वास्थ्य शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया गया है । इस मामले में शिक्षा मंत्रालय के साथ पूर्ण समन्वय से कार्य किया जा रहा है । दोनों मंत्रालय मिल कर कार्यक्रम बना रहे हैं ताकि हम अपने छात्र समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें ।

एक माननीय सदस्य ने पश्चिमी बंगाल में चेचक के फैल जाने की बात की है । मेरा इस बारे में निवेदन है कि जनवरी, १९६३ में वहां चेचक के १२६९ मामले हुए जब कि जनवरी, १९६४ में इन मामलों की संख्या ४०९ रह गयी । फरवरी, १९६३ में १९१० मामले थे, जब कि फरवरी १९६४ में यह संख्या ५४० हो गयी इस तरह इस दिशा में काफी कमी हुई । देश भर में लगभग ४३ प्रतिशत लोगों को चेचक के टीके लगाये गये हैं । यह भी प्रय न किया जा रहा है कि देश की बाकी जनसंख्या को भी टीके लगाये जायें । हम देश में वेक्सीन बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि फाइलेरिया को भी रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है । योजना आयोग को जल निष्कासन योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि फाइलेरिया पर नियंत्रण किया जा सके । इसका दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि इस रोग को रोकने के लिए नगरपालिकाओं को व्याजरहित दीर्घकालीन ऋण दिया जाना चाहिये । समय के साथ साथ हम और भी कई प्रकार की भयंकर बीमारियों के प्रबन्ध करेंगे । तपेदिक भी एक भयंकर रोग है और हम उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं । मलेरिये के बाद यही एक रोग है जिसने सबसे अधिक जानें ली हैं । काफी वर्षों से हम इसके रोकथाम का प्रयत्न कर रहे हैं । बंगलौर स्थित क्षय रोग संस्था और मद्रास स्थित रसायन-चिकित्सा केन्द्र में किये गये अनुसन्धानों से पता लगा है कि घर पर रहकर चिकित्सा कराना भी अस्पतालों में रह कर चिकित्सा कराने के समान प्रभावी हो सकता है और इसके लिए कार्यवाही की जा रही है । औषधियों का खर्च उठाने के लिए राज्यों से प्रस्ताव किया गया है । मैं चाहती हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझ लें कि उन्हें लोगों को यही परामर्श दें कि जो भी कोई इस रोग का इलाज़ कराये उसे पूरे एक साल का कोर्स लेना चाहिये । एक-दो महीने इलाज़ कर के बीच में ही उसे नहीं छोड़ देना चाहिए ।

अब मैं कुष्ठ रोग के बारे में निवेदन करना चाहती हूं । लगभग ३.५ लाख कोढ़ के रोगियों का विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इलाज़ हो रहा है । सर्वेक्षण का कार्य, तथा इलाज़ करने की शिक्षा देने का कार्य चल रहा है । कोढ़ को दूर करने के लिए लगभग ३० स्वयंसेवक संस्थायें भी काम कर रही हैं । इसके अतिरिक्त १५–२० सरकारी संस्थायें कुष्ठ रोग को दूर करने का प्रयत्न कर रही हैं । महरौली में जो अस्पताल चल रहा है वह तपेदिक संघ की ओर से चल रहा है भारत सरकार की ओर से नहीं । फिर भी इस बारे में जो भी शिकायतें हैं उसे पूरी तरह दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा । यह पूछा गया है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा मद्रास और कलकत्ता में क्यों लागू नहीं की जा रही । बम्बई में इसे लागू किया गया है और वहां यह काफी सफल रही है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी इस योजना को ला.

[डा० सुशीला नायर]

करना चाहती है परन्तु धन की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रही । यह योजना आजकल लगभग ५.५ लाख लोगों पर लागू है । १,३१,१७८ परिवार इसके अन्तर्गत आते हैं । कुछ इलाकों में इस योजना का अंश दान लेकर इसे गर-सरकारी लोगों पर भी लागू कर देने का प्रस्ताव था ।

२४९ असिस्टेन्ट इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं । लगभग ६० लाख लोग प्रति वर्ष इससे लाभ उठाते हैं, और यह सेवा निरन्तर लोकप्रिय होती चली जा रही है । श्रीमती सावित्री निगम का यह सुझाव ठीक है कि अस्पतालों से दवाई लेने वालों को प्रत्येक नुस्खे पर पांच अथवा दस नये पैसे देने चाहिये । इससे यह भावना भी बनती है कि दवाई के पैसे देने से दवाई अच्छा असर करती है ।

इस संदर्भ में मैं जल सम्भरण योजनाओं की बात भी करती हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इन योजनाओं के लिए किसी से कुछ न लिया जाय । मेरा निवेदन है कि जब तक गांवों में कूएं हैं तब तक पानी मुफ्त दिया जा सकता है लेकिन जब पानी का प्रबन्ध नलों द्वारा किया जायेगा तो पानी का खर्च तो देना ही होगा । क्योंकि कुछ ऐसे खर्च होंगे जो निरन्तर चलेंगे और कोई एक व्यक्ति सदा के लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा । उसकी जिम्मेदारी तो किसी पंचायत अथवा किसी व्यक्ति को लेनी ही होगी । और किसी न किसी हिसाब से खर्चा तो अदा करना ही होगा । मेरा यह भी निवेदन है कि देश में "पोलियो" वेक्सीन बनाना भी देश में आरम्भ हो गया है । रक्त बैंकों ने भी आपात काल में काफी काम किया है । रक्त एकत्रित करने में महिलाओं ने बड़ा शानदार काम किया ।

गांवों में भी प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं, इस समय इन की संख्या ३८७९ है । आशा की जा रही है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत सभी पांच हजार सामुदायिक विकास खंडो में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये जायेंगे । चीन के हमले के कारण इस दिशा में कार्य कुछ ढीला पड़ गया था पर अब उसको तेज कर दिया जायेगा । खाद्य में मिलावट के लिये अलग से विधेयक प्रस्तुत हो रहे हैं । वह इसी सत्र में प्रस्तुत हो जायेंगे ।

कैंसर के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह तम्बाकू पीने से पैदा होता है उन्हों ने मांग की है कि तम्बाकू पीने पर कानूनी पाबन्दी लगा दी जाये । मेरा निवेदन यह है कि सरकार तम्बाकू के प्रयोग पर पाबन्दी नहीं लगा सकती चाहे इससे कैंसर की बीमारी ही क्यों न फैलती हो ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands in respect of Ministry of Health were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४२	स्वास्थ्य मंत्रालय	२०,९१,०००
४३	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य	११,४३,२४,०००
४४	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	८७,२८,०००
१२७	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	९,९३,३५,०००

उद्योग मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा उद्योग मंत्रालय की मांगों पर विचार करेगी इसके लिए ६ घंटे निर्धारित किया गया है । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वह लिख कर दे सकते हैं ।

वर्ष १९६४–६५ के लिये उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
५७	उद्योग मंत्रालय .	३४,३५,०००
५८	उद्योग	. १६,९७,९०,०००
५९	नमक . . .	५१,३५,०००
६०	उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२८,५२,०००
१२९	उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	२,८६,२९,०००

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपूर) : वर्ष १९४८ और १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक विषमता को कम करना तथा उद्योगों का संतुलित करना था । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अपने इस संकल्प को उठा कर एक तरफ ताक में रख दिया है और इस नीति का प्रयोग गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है । आयोजित अर्थव्यवस्था चालू करने के १३ वर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए एक एकाधिपत्य आयोग की नियुक्ति करना सरकार की गलत नीतियों का द्योतक है । सरकार एक ओर तो देश में समाजवाद स्थापित करने का दावा करती है, दूसरी ओर उद्योगों में एकाधिपत्य की प्रवृत्ति बढ़ रही है । सरकार महलनवीस समिति की रिपोर्ट प्रकाश में नहीं लाना चाहती किन्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ अंशों के अनुसार वर्ष १९६०-६१ में कुल समवायों के ८६ प्रतिशत समवाय ५ लाख रुपये से कम दत्त पूंजी वाले थे और इन में कुल दत्त पूंजी १४.६ प्रतिशत भाग लगाया गया है जबकि ५० लाख रुपये से अधिक दत्त पूंजी वाले समवाय कुल समवायों का केवल १.६ प्रतिशत भाग हैं और इन में कुल दत्त पूंजी का ५३ प्रतिशत भाग लगा हुआ है। छोटे उद्योगों की अपेक्षा बड़े उद्योग बहुत अधिक लाभ कमाते हैं । इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण बढ़ रहा है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन को देखने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रगति पिछड़ गई है । इस क्षेत्र में लाभ की मात्रा में तो वृद्धि हुई है किन्तु विनियोजित पूंजी इसके अनुपात से नहीं बढ़ी है । सरकार द्वारा अनेक रियायतें देने के बावजूद भी गैर सरकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की दृष्टि से भी उत्पादन बढ़ाने में असफल रहा है । उदाहरणार्थ, जुलाई १९६३ में कपड़े का उत्पादन ४१७० लाख गज था जबकि जुलाई १९६२ में ४३८० लाख गज कपड़ा तैयार किया गया था । सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

लाइसेंस देने में सरकार की नीति बड़े व्यापारियों का पक्ष लेने की है । छूट की सीमा १० लाख रुपये बढ़ा कर २५ लाख रुपये करना, जिसकी घोषणा हाल में की गई है, छोटे पैमाने तथा औसत दर्जे के उद्योगों के लिए लाभकारी नहीं है । इस से बड़े उद्योगों को ही लाभ होगा । सभा में उद्योग मंत्री महादय द्वारा दिये गये प्रश्नों के उत्तर के अनुसार वर्ष १९६० से लेकर वर्ष १९६२ तक अधिकांश लाइसेंस, बिड़ला, टाटा, मफतलाल वर्ग, श्रीराम आदि बड़े व्यापारियों को ही दिये गये हैं और ये ही लोग उद्योगों के समूचे क्षेत्र पर नियंत्रण कर रहे हैं । सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण हो रहा है और देश में एकाधिपत्य को भी बढ़ावा मिल रहा है ।

सरकार द्वारा उद्योगों को निरंतर रियायत देने के बावजूद भी वे अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहे हैं । 'विवियन बोस' जांच समिति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर विद्यमान है । कुछ उद्योग तो जान बूझ कर उत्पादन में कमी कर रहे हैं । किसी व्यक्ति अथवा समवाय को भ्रष्टाचार का दोषी पाये जाने पर भी छोड़ दिया जाता है । सरकार को भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये शीघ्र कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

सरकार छोटे उद्योगों को अपेक्षित वित्तीय सहायता नहीं दे रही है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से छोटे उद्योग धन के अभाव में उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं । सरकार ने पश्चिम बंगाल में पेटी उद्योग (बेल्टिंग इंडस्ट्री) को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी किन्तु डनलप कम्पनी को पेटियां बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है ।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार को कलकत्ता में छोटे इंजीनियरी एककों की भी सहायता करनी चाहिये ताकि यह उद्योग अपना उत्पादन बढ़ा सकें । वह धन, कच्चे माल तथा विद्युत् शक्ति की कमी के कारण अपना काम नहीं चला सकते । इसलिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से सरकार को उन की सहायता करनी चाहिये । उदाहरणार्थ, २४–परगना में लोहे के कील बनाने वाले ५० कारखाने चालू हुए थे परन्तु बड़े निर्माताओं से मुकाबला होने के कारण उन्हें निर्माण बन्द करना पड़ा । इसलिए सरकार को चाहिये कि वह छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता दें और कच्चा माल उपलब्ध करें ।

ऊन न मिलने के कारण पंजाब के हौजियरी उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गयी है । कई वर्षों से सारे देश के हथकरघा बुनकर कठिनाई का सामना कर रहे हैं । पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य राज्यों से धांगे का पर्याप्त सम्भरण नहीं हो रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि हथ-करघों के लिये धागा आदि माल तैयार करने के लिये कारखाने स्थापित किये जायें । शक्तिचालित करघों के सिलसिले में स्थिति यह है कि धागे पर कर लगने से इस उद्योग में भी संकट पैदा हो गया है । इसलिये इस नये कर को वापस ले लेना चाहिये ।

देश में छोटे उद्योगों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे प्लास्टिक, रबड़, प्लाईवुड तथा सूखी बैटरियां आदि उद्योग । यदि इन छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो या तो बड़े उद्योगपतियों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा या देश के औद्योगीकरण का एक स्थायी आधार नहीं होगा ।

पश्चिम बंगाल में संसाधन और क्षमता होने के बावजूद भी उद्योगों की स्थिति क्षीण होती जा रही है । परन्तु सरकार अब भी वित्तीय सहायता, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कच्चे माल उपलब्ध कर के स्थिति को सुधार सकती है ।

हल्दिया अथवा दण्डकारण्य में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव था परन्तु उसका परिणाम अभी तक कुछ भी नहीं निकला ।

उद्योगों के लिये और शरणार्थियों को बसाने के लिये मंत्रालय ऋण देता रहा है परन्तु केवल ऋण देने से काम नहीं चल सकता । लाखों लोग बेकार हैं, यदि नये उद्योग स्थापित किये जायें तो उनकी समस्या भी हल हो सकती है और देश की अर्थ व्यवस्था भी सुधर सकती है ।

श्री रामचन्द्र उलाका (कोरापूट) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । इस मंत्रालय ने प्रशंसनीय काम किया है । जैसे कि प्रतिवेदन से विदित है औद्योगिक उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ा है ।

परन्तु यह देखा गया है कि लाईसेंस प्राप्त करने के मामले में कठिनाई का अनुभव होता है । यह बात देश की प्रगति में बाधक हो सकती है । सरकार को चाहिये कि प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये माल तैयार करने के लिये लाईसेंस खुले तौर पर दिये जाने चाहियें । उत्पादन बढ़ने से मूल्य कम होंगे ।

छोटे और घरेलू उद्योगों के विकास से देश की प्रगति में बहुत योगदान मिलता है । इस क्षेत्र में भी काफी प्रगति देश में हुई है । इनके अधिक विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम होगी ।

औद्योगिक दृष्टि से उड़ीसा राज्य, विशेषकर कोरापुट जिला बहुत पिछड़ा हुआ है । मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लिये कुछ विशेष कदम उठाया जाये । सरकार को चाहिए कि वह अल्प विकसित राज्यों को अधिक सहायता दे ताकि वह अन्य विकसित राज्यों के बराबर आ सकें । ऐसे राज्यों को हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहियें ।

पंचायत समितियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उड़ीसा सरकार ने पंचायत समितियों को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर वार्षिक इनाम देने की एक योजना लागू की है । उस योजना के अन्तर्गत, इनाम जीतने वाली पंचायत समिति के गांव में एक करोड़ रुपये तक की लागत से एक उद्योग स्थापित किया जाता है । यह योजना तो अच्छी है परन्तु इसके बावजूद भी कुछ गांवों में उद्योग स्थापित नहीं हो सकेंगे । मेरा सुझाव है कि प्रत्येक पंचायत समिति में एक औद्योगिक परियोजना बनाई जाये और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक छोटा उद्योग स्थापित किया जाय । यह कार्यवाही केन्द्रीय सरकार करे चूंकि उड़ीसा सरकार के पास निधियां उपलब्ध नहीं हैं । उड़ीसा राज्य को इस दृष्टि से और भी धन देने की आवश्यकता है कि वहां पर उद्योग स्थापित करके शरणार्थियों को बसाना है ।

सरकार का विचार कोरापुट जिले में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का था परन्तु मुझे बताया गया है कि वह प्रस्ताव अब त्याग दिया गया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाय, चूंकि आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर कम से कम दो ऐसे कारखाने स्थापित किये जायें । वीर मित्र पुर में एक नया सीमेंट कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए । इससे देश की सीमेंट की आवश्यकता भी पूरी होगी और सम्बद्ध क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिलेगा ।

[श्री राम चन्द्र उलाका]

हथकरघा उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। दस्तकारी उद्योगों के विकास के लिये सरकार को सहकारी संस्थाओं का संगठन करना चाहिए। मैं सरकार को यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ग्रामीण उद्योग बेकार पड़े हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके उनको चालू किया जाय और जो उद्योग इस समय उत्पादन कर रहे हैं उनको और प्रोत्साहन दिया जाय।

उद्योग मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
57	3	Shri Ram Sewak Yadav	Disparity in salaries of employees of Govt. undertakings.	Rs. 100
57	6	Shri Ram Sewak Yadav	Need to nationalise private industries	Rs. 100
५८	९	श्री स० मो० बनर्जी	विद्युत चालित करघा उद्योग की कठिनाइयां	१०० रुपये
58	10	Shri Ram Sewak Yadav	Need to help cottage industries	Rs. 100
६०	११	श्री स० मो० बनर्जी	विद्युतचालित करघा जांच समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन में विलम्ब	१०० रुपये
५७	१३	श्री दीनेन भट्टाचार्य	औद्योगिक नीति संकल्प को कार्यान्वित करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।
५७	१४	श्री दीनेन भट्टाचार्य	ग्रामीण उद्यागों को संरक्षण देने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।
५७	१५	श्री कृष्णपाल सिंह	प्रशासन का अत्यधिक बोझा	१०० रुपया
५७	१६	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल में रेशम पर छपाई वाले उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में धागे के सम्भरण की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५७	१७	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल में रेशम पर छपाई वाले उद्योगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	१८	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल में छोटे बैल्टिंग कारखानों को संरक्षण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	१९	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को काम पर लगाने के लिये अधिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	२०	श्री दीनेन भट्टाचार्य	छोटे इंजीनियरिंग उद्योगों को कच्चे माल का सम्भरण	१०० रुपये
५७	२१	श्री दीनेन भट्टाचार्य	तांबा धातु घरेलू उद्योगों को उचित वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
५८	२२	श्री कृष्णपाल सिंह	ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास के लिये असन्तोषजनक प्रबन्ध	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री ब० बा० गांधी (बम्बई मध्य दक्षिण) : आज उद्योग मंत्रालय सभी उद्योगों का मार्गदर्शन कर रहा है । सरकार की नीति उन उद्योगों को विशेषकर प्रोत्साहन देने की है जिनमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

सदस्य की रिहाई

RELEASE OF MEMBER

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को कुडप्पा की उप जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट से दिनांक ३० मार्च, १९६४ का एक पत्र प्राप्त हुआ है कि लोक सभा के सदस्य श्री वाई० ईश्वर रेड्डी को २८ मार्च, १९६४ को कुडप्पा की उपजेल से रिहा कर दिया गया ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९६४/चैत्र १४, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, April 3, 1964/Chaitra 14, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSIII—404 (Ai) LS—18-6-64—600